विषय सूची

क्रम सं	पैरा सं. (2017-18 के बजट भाषण में)	विषय	पृष्ट सं.
1.	21	किसानों की आय सुरक्षा	1
2.	22	किसानों को पर्याप्त ऋण	1
3.	23	किसानों को ऋण का निर्बाध प्रवाह	2
4.	24	फसल बीमा योजना	2
5.	25	कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके)	3
6.	26	दीर्घावधि सिंचाई निधि की संचित निधि में वृद्धि	3
7.	27	लघु सिंचाई निधि 'प्रति बूंद अधिक फसल'	3
8.	28	राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम)	4
9.	29	कृषि क्षेत्र में बाजार सुधार	4
10.	30	फल एवं सब्जियों के लिए संविदा खेती	4
11.	31	दुग्ध प्रसंस्करण के लिए अवसंरचना विकास निधि	5
12.	33	मिशन अंत्योदय	5
13.	34	मनरेगा के तहत उत्पादक आस्तियों का निर्माण	5
14.	36	मनरेगा के तहत निधियों का अधिक आवंटन	6
15.	37	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	6
16.	38	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत अधिक आवंटन	7
17.	39	ग्रामीण विद्युतीकरण	7
18.	40	ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास का संवर्धन	7
19.	41	खुले में शौच से मुक्त गांव	8
20.	42	स्वच्छ पेयजल	8
21.	43	ग्रामीण लोगों को राजगिरी का प्रशिक्षण	8
22.	44	परिणामों के लिए मानव संसाधन सुधार कार्यक्रम	8
23.	48	शिक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा	9
24.	49	माध्यमिक शिक्षा के लिए नवोन्मेष निधि	9
25.	50	उच्चतर शिक्षा में सुधार	9
26.	51	स्वयं - ऑनलाइन कोर्स	10
27.	52	राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्थापना	10
28.	54	प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र	10
29.	55	आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता कार्यक्रम (संकल्प)	10
30.	56	औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव)	11
31.	57	चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र में रोजगार सृजन	11
32.	58	पांच विशेष पर्यटन क्षेत्रों का निर्माण और अतुल्य भारत अभियान का सृजन	11

क्रम सं	पैरा सं. (2017-18 के बजट भाषण में)	विषय	पृष्ट सं.
33.	60	महिला शक्ति केन्द्र और महिला कल्याण की योजनाएं	11
34.	62	सस्ते आवास	12
35.	63	आवासीय ऋण की उपलब्धता	12
36.	64	कुछ रोगों को मिटाने की कार्य योजना	12
37.	65	रनातकोत्तर स्तर पर अतिरिक्त सीटों का सृजन और चिकित्सा शिक्षा की नई रूपरेखा	13
38.	66	झारखंड और गुजरात में एक-एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना	13
39.	67	औषधि एवं प्रसाधन नियमावली का संशोधन और चिकित्सीय उपकरणों को विनियमित करने के लिए नए नियम	13
40.	68	श्रमानुकूल माहौल का सृजन	14
41.	69	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए आबंटन में वृद्धि	14
42.	70	वरिष्ठ नागरिकों के लिए निश्चित पेंशन योजना	14
43.	72	रेलवे को अधिक बजटीय आबंटन	15
44.	74	राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष का सृजन	15
45.	75	चिन्हित रेलवे गलियारों का आधुनिकीकरण और उन्नयन	15
46.	77	रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास	16
47.	78	रेलवे द्वारा सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन	16
48.	79	स्वच्छ रेल-क्लीन माई कोच सर्विस	16
49.	80	भारतीय रेल को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए परिवर्तनकारी उपाय	17
50.	82	नई मेट्रो रेल नीति	18
51.	83	नया मेट्रो रेल अधिनियम	18
52.	84	सड़क संपर्क सुधारना	19
53.	85	बहुरूपात्मक लॉजिस्टिक्स पार्क और परिवहन सुविधा का विकास	19
54.	86	नागर विमानन क्षेत्र के संबंध में की गई पहलें और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन	19
55.	89	भारत नेट परियोजना - हाईस्पीड ब्रॉडबैंड संपर्क	20
56.	90	कच्चे तेल के सामरिक भण्डारों की स्थापना	20
57.	91	सौर पार्क का विकास - चरण-II	20
58.	93	व्यापार अवसंरचना निर्यात स्कीम (टाइज़)	20
59.	96	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई)	21
60.	97	हाजिर बाजार और व्युत्पाद बाजार के एकीकरण के अध्ययन संबंधी समिति	21
61.	98	अवैध जमा योजनाओं के खतरे को कम करने के लिए उपाय	21
62.	99	वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा (एफआरडीआई) विधेयक	22
63.	100	विवाचन और समाधान अधिनियम, 1996 में संशोधन	22
64.	101	वित्तीय क्षेत्र के लिए कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पोंस टीम (सर्ट-फिन) की स्थापना	22

क्रम सं	पैरा सं. (2017-18 के बजट भाषण में)	विषय	पृष्ठ सं.
65.	102	भारतीय वित्तीय क्षेत्र को सुधारने के उपाय	23
66.	103	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के सूचीयन का तंत्र	24
67.	104	स्टॉक एक्सचेंजों में रेलवे के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों का सूचीयन	24
68.	105	एकीकृत सरकारी क्षेत्र 'ऑयल मेजर' का सृजन	24
69.	106	ईटीएफ के जरिए सीपीएसई के शेयरों का विनिवेश	25
70.	107	बैंकों का पुनर्पूजीकरण	25
71.	108	सारफेसी अधिनियम के तहत प्रतिभूति प्राप्तियों का सूचीयन और कारोबार	25
72.	109	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए आबंटन में वृद्धि	26
73.	113	डिजिटल अर्थव्यवस्था - भीम एप का प्रचार	26
74.	114	डिजिटल भुगतानों को प्रोत्साहन	26
75.	115	डिजिटल लेनदेनों को प्रोत्साहन और एमएसएमई क्षेत्र को ऋण की आसान उपलब्धता	26
76.	116	डिजिटल भुगतानों को प्रोत्साहन	27
77.	117	डिजिटल भुगतानों को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय समावेशन निधि	28
78.	118	डिजिटल लेनदेन संबंधी मुख्यमंत्रियों की समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन	28
79.	119	डिजिटल भुगतानों को सुप्रवाही बनाना	28
80.	120	नकारे गए चेकों की समस्या से निपटने के लिए परक्राम्य लिखत अधिनियम में संशोधन	28
81.	124	पासपोर्ट सेवाएं देने के लिए डाकघरों का उपयोग	29
82.	125	केंद्रीकृत रक्षा यात्रा तंत्र का विकास	29
83.	126	रक्षा पेंशन के लिए पेंशन संवितरण तंत्र	29
84.	127	सरकारी भर्ती हेतु प्रक्रियाओं को आसान बनाना	29
85.	128	अधिकरणों की संख्या को युक्तिसंगत बनाना	30
86.	129	भगोड़ा आर्थिक अपराधियों से निपटने के लिए कानून लाना	30
87.	130	स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं का स्मरणोत्सव	31
88.	135	विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन - एफआरबीएम समीक्षा समिति की रिपोर्ट	31
89.	146	सस्ते आवासन और स्थावर संपदा क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपाय	32
90.	147	नोशनल किराया आय के तहत कराधान के संबंध में मानदण्डों में छूट	32
91.	148	भूमि और भवन के संबंध में पूंजी लाभ कराधान के प्रावधानों में छूट	33
92.	149	पूंजी लाभ कर के परिकलन के मापदण्डों में परिवर्तन	33
93.	150	आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के लिए लैंड पूलिंग पर पूंजी लाभ कर से छूट	33
94.	151	विदेशी निकायों द्वारा अर्जित ब्याज पर विदहोल्डिंग कर पर छूट की अवधि बढ़ाना	33
95.	152	स्टार्ट-अप के लिए आयकर छूट	34
96.	153	न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) को 10 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष की अवधि के लिए चलाना	34
97.	156	₹50 करोड़ की वार्षिक कारोबार करने वाली छोटी कंपनियों पर आयकर को घटाकर 25 प्रतिशत करना	34

क्रम सं	पैरा सं. (2017-18 के बजट भाषण में)	विषय	पृष्ट सं.
98.	157	अनर्जक परिसंपत्तियों के लिए अनुज्ञेय प्रावधान 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत करना	35
99.	158	एलएनजी पर बुनियादी सीमा शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया जाना	35
100.	160	डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना	35
101.	161	नकदी व्यय और अनुज्ञेय दान को सीमित करना	35
102.	162	नकद लेनदेन को ₹2 लाख तक सीमित करने के लिए आयकर अधिनियम में संशोधन	35
103.	163	डिजिटल लेनदेन के उपस्करों के लिए कराधान में छूट के जरिए डिजिटल लेनदेनों को प्रोत्साहन	36
104.	165	राजनीतिक पार्टियों का वित्तपोषण	36
105.	166	घरेलू अंतरण मूल्य निर्धारण के मापदण्डों में छूट	37
106.	167	छोटे कारोबारियों, व्यष्टियों और हिंदू अविभाजित परिवारों की लेखापरीक्षा की आरंभिक सीमा में वृद्धि	37
107.	169	श्रेणी I और II के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक को अप्रत्यक्ष अंतरण उपबंध से छूट	38
108.	170	व्यष्टि बीमा एजेंटों को टीडीएस दाखिल करने की अपेक्षा से छूट देना	38
109.	. 171	₹50 लाख प्रतिवर्ष की आमदनी वाले व्यवसायियों के अनुमानित कराधान संबंधी लाभ	38
110.	172	धन की वापसी के दावों के लिए आसान प्रक्रिया	38
111.	174	व्यष्टि निर्धारितियों के लिए कराधान की मौजूदा दर में कटौती	38
112.	175	अधिक आमदनी वाले व्यक्तियों (एचएनआई) पर 10 प्रतिशत कर का अधिभार लगाना	39
113.	176	साधारण एक पृष्ठीय आईटीआर फॉर्म-I (सहज)	39
114.	178	माल और सेवाकर का कार्यान्वयन	40
115.	180	कर प्रशासन में सुधार	40

क्रम पैरा बजट घोषणाओं का पाठ कार्यान्वयन की प्रास्थिति सं. सं.

1. 21 पिछले वर्ष के बजट भाषण में मैंने पांच वर्षों में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किसानों की "आय सुख्का" पर ध्यान केंद्रित किया था। मैंने इस संबंध में अनेक उपायों की भी घोषणा की थी। हमें और अधिक उपाय करने होंगे तथा किसानों को उनके उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने; और फसल प्राप्ति के उपरांत आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए समर्थ बनाना होगा।

[नोडल मंत्रालय/विभागः कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग]

2. 22 अच्छी फसल के लिए, किसानों को समय से पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। वर्ष 2017-18 के लिए कृषि ऋण हेतु लक्ष्य ₹10 लाख करोड़ के रिकार्ड स्तर पर निर्धारित किया गया है। हम अल्पसेवित क्षेत्रों, पूर्वी राज्यों तथा जम्मू व कश्मीर राज्यों में रहने वाले किसानों के लिए पर्याप्त ऋण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास करेंगे। किसानों को सहकारी ऋण ढांचे से लिए गए ऋण के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 60 दिनों के ब्याज के भुगतान से छूट का लाभ भी प्राप्त होगा।

[नोडल मंत्रालय/विभागः कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग] कृषि और सहबद्ध क्षेत्र के सचिवों के समूह ने किसानों की आय को दोगुना करने के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। इसके अलावा, नीति आयोग ने भी किसानों की आय दोगुनी करने के संबंध में कार्यनीति पत्र तैयार किया। इन कार्यनीति पत्रों को सभी राज्यों में परिचालित किया गया है ताकि राज्य विशिष्ट कार्य योजना बनाई जा सके।

इसके अलावा, सरकार ने ''किसानों की आय दोगुना करने'' करने के संबंध में अंतःमंत्रालयी समिति गठित की है। हालांकि समिति अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं है, फिर भी यह अनेक आवश्यक हस्तक्षेप कार्रवाइयों की सिफारिश करती रही है। विभाग ने वर्ष 2017-18 के दौरान अनेक नई पहले शुरू की हैं। इनमें ये शामिल हैं- (i) दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर बल देना (ii) कृषि अवसंरचना में निवेश बढ़ाना (iii) आरकेवीवाई दिशा निर्देशों में संशोधन करके कृषि उद्यमों का संवर्धन और कृषि उद्यमों एवं इन्क्यूबेशन केंद्रों के लिए आबंटन का 10 प्रतिशत आरक्षित रखना (iv) मूल्य अन्वेषण के लिए प्रतिस्पर्धी माहौल सृजित करने हेतु बाजार सुधार जिसके लिए मॉडल कृषि विपणन और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2017 तैयार किया गया है और राज्यों के साथ साझा किया गया है।

कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग

वर्ष 2017-18 के लिए ₹10 लाख करोड़ के कृषि ऋण संवितरण के लक्ष्य के प्रति अक्तूबर, 2017 तक ₹6,71,113.42 करोड़ का संवितरण किया गया। अक्तूबर, 2017 तक अल्पाविध फसल ऋण और साविध ऋण के लक्ष्य और उपलब्धि निम्नानुसार हैं:

		(राशि ₹ करोड़ में)
मद	अल्पावधिक फसल	सावधिक
	ऋण	ऋण
लक्ष्य	6,80,000.00	3,20,000.00
उपलब्धि	4,41,554.67	2,29,558.75

असेवित क्षेत्र, पूर्वी राज्य और जम्मू कश्मीर को मिलने वाले कृषि ऋण का प्रवाह का और हासिल उपलब्धि (31.10.2017 तक) निम्नानुसार रही है:

		(राशि ₹करोड़ में)
क्षेत्र	2017-18	उपलब्धि
	का लक्ष्य	
पूर्वी क्षेत्र	130140.00	48,640.18
मध्य क्षेत्र	196330.00	88,280.84
जम्मू कश्मीर	4600.00	5,964.00
	पूर्वी क्षेत्र मध्य क्षेत्र	का लक्ष्य पूर्वी क्षेत्र 130140.00 मध्य क्षेत्र 196330.00

क्रम पैरा बजट घोषणाओं का पाठ कार्यान्वयन की प्रास्थिति सं. सं.

वित्तीय सेवाएं विभाग

वर्ष 2017-18 के संबंध में 10 लाख करोड़ रु. के क्षेत्रवार, एजेंसीवार और प्रयोजनवार कृषि ऋण के लक्ष्य की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, आईबीए और सरकारी क्षेत्रों के बैंकों को दे दी गई है।

3. 23 लगभग 40 प्रतिशत छोटे एवं सीमांत किसान सहकारी ढांचे से ऋण प्राप्त करते हैं। प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियां ऋण वितरण के लिए अग्र सिरे के रूप में कार्य करती हैं। हम जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली के साथ सभी 63,000 क्रियाशील प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों के कम्प्यूटरीकरण तथा समेकन के लिए नाबार्ड को सहायता उपलब्ध कराएंगे। यह कार्य ₹1900 करोड़ की अनुमानित लागत पर 3 वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा जिसके लिए राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय प्रतिभागिता की जाएगी। इससे लघु एवं सीमांत किसानों को ऋण का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित होगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग]

कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों (पैक्स) वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कंप्यूटरीकरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 28.09.2017 को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की है। 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस परियोजना में रुचि व्यक्त की है।

पैक्स के कम्प्यूटरीकरण से संबंधित प्रस्ताव पर विचार करने के लिए ईएफसी की बैठक 15.01.2018 को आयोजित की गई थी।

बुआई करते समय किसानों के मन में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति स्रक्षा का भाव होना चाहिए। हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई फसल बीमा योजना इस दिशा में उठाया गया एक प्रमुख कदम है। इस योजना का विस्तार क्षेत्र 2016-17 में फसल क्षेत्र के 30 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 40 प्रतिशत और 2018-19 में 50 प्रतिशत हो जाएगा। बजट अनुमान 2016-17 में इस योजना के लिए ₹5,500 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था जिसे बकाया दावे का निपटान करने के लिए 2016-17 के संशोधित अनुमान में बढ़ाकर ₹13,240 करोड़ कर दिया गया था। वर्ष 2017-18 के लिए मैंने इस मद के लिए ₹9,000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत राशि 2015 के खरीफ मौसम में ₹69,000 करोड़ थी जो दोगुने से अधिक होकर 2016 के खरीफ मौसम में ₹1,41,625 करोड़ हो गई है।

- . . . [नोडल मंत्रालय/विभागः कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग] कृषि कार्य-कलापों से जुड़े जोखिमों को देखते हुए सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्सरचित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के जिए प्रगामी कदम उठा रही है तािक यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसान प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित महसूस करें। इस संबंध में की गई कार्रवाई निम्नानुसार है:

उपर्युक्त योजनाओं के लिए संशोधित बजटीय आवंटन वर्ष 2016-17 के लिए अंतिम सं.अ.चरण पर 11054.63 करोड़ रु. था और इस संपूर्ण आंवटन को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्संरचित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2016 में प्रीमियम सब्सिडी के रूप में सरकार द्वारा इसके 50 प्रतिशत हिस्से के तौर पर और एनएआईएस के तहत विगत देनदारियों के लिए इस्तेमाल कर लिया गया था।

खरीफ 2016 के दावों की प्रास्थितिः

अनुमानित : ₹9837.49 करोड़ अनुमोदित : ₹9546.55 करोड़ भुगतान : ₹8902.96 करोड़

रबी 2016-17 के दावे:

अनुमानित : ₹5084.21 करोड़ अनुमोदित : ₹3701.63 करोड़ भुगतान : ₹2733.67 करोड़

वर्ष 2017-18 के लिए ₹9000.75 करोड़ के कुल आवंटन में से अब तक ₹8058.75 करोड़ जारी/इस्तेमाल किए जा चुके हैं।

क्रम पैरा बजट घोषणाओं का पाठ कार्यान्वयन की प्रास्थिति सं. सं.

5. 25 मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की गित में तेजी आ रही है। किसानों को वास्तविक लाभ तभी प्राप्त होगा जबिक मिट्टी के नमूनों की शीघ्र जांच की जाए तथा मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों के स्तर के बारे में उन्हें जानकारी हो। इसलिए, सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों में नई लघु प्रयोगशालाओं को स्थापित करेगी तथा देश के सभी 648 कृषि विज्ञान केंद्रों का 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करेगी। इसके अतिरिक्त, योग्य स्थानीय उद्यमियों द्वारा 1000 लघु प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। सरकार इन उद्यमियों को ऋण संबद्ध सब्सिडी उपलब्ध कराएगी।

[नोडल मंत्रालय/विभागः कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग]

6. 26 नाबार्ड में एक दीर्घावधिक सिंचाई कोष स्थापित किया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री ने इसकी स्थायी निधि में ₹20,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि शामिल करने की घोषणा की है। इस कोष में कुल निधि बढ़कर ₹40,000 करोड़ हो जाएगी।

> [नोडल मंत्रालय/विभागः जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय]

7. 27 "प्रति बूंद अधिक फसल" लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नाबार्ड में एक समर्पित सूक्ष्म सिंचाई कोष स्थापित किया जाएगा। इस कोष की आरंभिक निधि ₹5,000 करोड़ होगी।

> [नोडल मंत्रालय/विभागः कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग]

1076 नई लघु प्रयोगशालाएं स्थापित करने और सभी 648 कृषि विज्ञान केन्द्रों के शतप्रतिशत कवरेज के लिए आरकेवीवाई योजना के तहत आईसीएआर को ₹925.36 लाख की निधियां जारी की गई।

स्थानीय उद्यमियों द्वारा लघु प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना 29.11.2017 को ईएफसी द्वारा अनुमोदित कर दी गई है।

पीएमकेएसवाई (एआईबीपी) परियोजनाओं के लिए नाबार्ड के अंतर्गत दीर्घावधिक सिंचाई निधि सृजित की गई है। सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान ब्याज दर को 6 प्रतिशत पर रखने के लिए दिनांक 16.08.2017 को ₹9,020 करोड़ तक के शून्य लागत वाले बांड जुटाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

वर्ष 2017-18 के दौरान त्विरत सिंचाई लाभ कार्यक्रम और कमान क्षेत्र विकास कार्यों के लिए नाबार्ड के जिए जारी किए जाने हेतु ₹1720.68 करोड़ के सीए को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं के लिए ₹3,390.37 करोड़ का राज्य का हिस्सा नाबार्ड के जिरए जारी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश की पोलावरम परियोजना के लिए नाबार्ड के जिरए जारी किए जाने हेतु ₹1,297.58 करोड़ की राशि को मंजूरी दी जा चुकी है।

राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र भेजे गए हैं जिनमें संचित निधि के इष्टतम और कारगर उपयोग के लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग को अपने राज्य विशिष्ट विकल्प/आवश्यकताएं सूचित करें।

मसौदा संकल्पना टिप्पणी और करार ज्ञापन (करार ज्ञापन राज्य सरकारों, भारत सरकार और नाबार्ड के बीच हस्ताक्षरित किया जाना है) राज्यों के बीच उनके अभिमत जानने के लिए परिचालित किया गया है।

राज्यों से प्राप्त अभिमत/जानकारी के आधार पर, संचित निधि को प्रचालित करने के लिए मसौदा मंत्रिमंडल टिप्पणी तैयार की जा रही है।

लघु सिंचाई निधि (एमआईएफ) के लिए पीएमकेएसवाई-संचित निधि पर विचार करने के लिए ईएफसी की बैठक 28.11.2017

क्रम पैरा बजट घोषणाओं का पाठ कार्यान्वयन की प्रास्थिति सं. सं.

> को आयोजित की गई थी। बैठक में ईएफसी के प्रस्ताव को दोबारा तैयार करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, ईएफसी प्रस्ताव दोबारा तैयार किया गया है और व्यय विभाग को प्रस्तुत किया गया है। इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए ईएफसी बैठक आयोजित की गई थी।

8. 28 फसल कटाई के बाद के चरण के लिए, हम किसानों को बाजार में अपनी उपज की बेहतर कीमतें प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए कदम उठाएंगे। राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) दायरे का मौजूदा 250 बाजारों से 585 एपीएमसी तक विस्तार किया जाएगा। स्वच्छता ग्रेडिंग और पैकेजिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए प्रत्येक ई-नाम बाजार को ₹75 लाख की अधिकतम सीमा तक सहायता प्रदान की जाएगी। इससे किसानों को अपनी उपज का अधिक मृत्य मिल सकेगा।

दिनांक 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार, 470 बाजारों को ई-नाम पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया गया है।

प्रत्येक बाजार के लिए ₹75 लाख की वर्धित सहायता के प्रस्ताव पर इस समय विचार किया जा रहा है। 31.10.2017 की स्थिति के अनुसार, 14 राज्यों में 470 मंडियां ई-नाम पर सक्रिय हैं।

[नोडल मंत्रालय/विभागः कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग]

9. 29 बाजार सुधार का कार्य शुरू किया जाएगा और राज्यों से खराब होने वाली वस्तुओं को एपीएमसी से विमुक्त करने (डिनोटिफाई) का अनुरोध किया जाएगा। इससे किसानों को अपनी उपज को बेहतर कीमतों पर बेचने का अवसर मिलेगा।

> [नोडल मंत्रालय/विभागः कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग]

कृषि मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 24.4.2017 को कृषि क्षेत्र के सुधारों के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई थी। 16 राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के कृषि विपणन के प्रभारी माननीय मंत्रियों ने, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और भारत सरकार के संबंधित विभागों के विश्व अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया। नया मॉडल कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2017 राज्यों द्वारा अंगीकृत किए जाने हेतु जारी किया गया। इसके प्रावधानों में फलों और सब्जियों को एपीएमसी से नियंत्रणमुक्त किया जाना शामिल है। अब तक 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने विविध रूपों में यह सुधार अपनाया है। शेष राज्यों से लगातार अनुरोध किया जा रहा है कि वे इन सुधारों को पूरी तरह अपनाएं।

10. 30 हमारा उन किसानों को एकीकृत करने का भी प्रस्ताव है जो बेहतर मूल्य प्राप्त करने और फसल कटाई के पश्चात हानियों को कम करने के लिए कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के साथ फल और सब्जियां उगाते हैं। इसलिए संविदा खेती के संबंध में एक मॉडल कानून तैयार किया जाएगा और इसे अपनाने के लिए राज्यों को भेजा जाएगा।

> [नोडल मंत्रालय/विभागः कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग]

मॉडल अधिनियम वेबसाइट पर अपलोड किया गया है और हितधारकों से टिप्पणियां मांगी गई है। इसे जल्द ही अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

मसौदा अधिनियम जिसका शीर्षक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कृषि उत्पाद और पशुधन संविदा खेती (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया है। मसौदा मॉडल अधिनियम को दिसम्बर, 2017 में परिचालित किया गया है तािक उसे अंतिम रूप दिए जाने के लिए संबंधित मंत्रालयों/हितधारकों से टिप्पणियां मंगायी जा सके।

क्रम पैरा बजट घोषणाओं का पाठ कार्यान्वयन की प्रास्थिति सं. सं. 11. 31 डेयरी, किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी का एक i) आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 1

1. 31 डेयरी, किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी का एक महत्वपूर्ण जिरया है। दुग्ध प्रसंस्करण सुविधा और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता से किसान मूल्य वृद्धि के जिरए लाभान्वित होंगे। 'आपरेशन फ्लड' कार्यक्रम के तहत स्थापित दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों की एक बड़ी संख्या पुरानी और अव्यावहारिक हो गई है। 3 वर्षों में ₹8000 करोड़ की संचित निधि से नाबार्ड में एक दुग्ध प्रसंस्करण एवं अवसंस्वना निधि की स्थापना की जाएगी। आरंभ में, इस निधि की शुरूआत ₹2000 करोड़ की संचित निधि से जी जाएगी।

[नोडल मंत्रालय/विभागः पशु पालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग]

- आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 10,881 करोड़ रु. की राशि की डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) को अनुमोदित कर दिया है। डीआईडीएफ के प्रचालन संबंधी दिशा-निर्देश माननीय कृषि मंत्री द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।
- iii) डीआईडीएफ के कार्यान्वयन के लिए पशुपालन, डेयरी उद्योग और मात्स्यिकी विभाग, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के बीच दिनांक 14.12.2017 को करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

12. 33 l. ग्रामीण आबादी

यदि हम केंद्रीय बजट, राज्य के बजटों, स्वयं-सहायता सम्हों के लिए बैंक संबद्धता आदि से ग्रामीण गरीबों के उद्देश्य से संचालित सभी कार्यकमों को जोड़ दें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में हर वर्ष ₹3 लाख करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जाती है। जवाबदेही, परिणामों और सामंजस्य (कन्वर्जेंस) में सुधार लाने पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करने के साथ, हम वर्ष 2019 अर्थात महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक एक करोड परिवारों को गरीबी से निजात दिलाने, 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त बनाने के लिए अंत्योदय मिशन शुरू करेंगे। हम वार्षिक वृद्धियों के साथ मौजूदा संसाधनों का अधिक कारगर तरीके से उपयोग करेंगे। यह अभियान प्रत्येक वंचित परिवार के लिए स्थायी रूप से आजीविका हेतु एक सूक्ष्म योजना पर ध्यान केंद्रित करने के साथ कार्य करेगा। आधार रेखा से प्रगति की निगरानी करने के लिए गरीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के लिए एक मिली-जुली सूची विकसित की जाएगी।

[नोडल मंत्रालय/विभागः ग्रामीण विकास मंत्रालय]

मिश्रन अंत्योदय राज्य द्वारा संचालित पहल है जो ग्रामीण क्षेत्रों को रूपातंरित करने के लिए समाभिरूपता परिलक्षित करता है। राज्यों ने मिश्रन अंत्योदय के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों की पहचान की है और मिश्रन अंत्योदय के वेब पोर्टल पर ग्राम पंचायतों से संबंधित डाटा अपलोड किया है।

बेसलाइन डाटा के अनुसार ग्राम पंचायतों की रैंकिंग कर दी गई है। मिशन अंत्योदय के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा प्रकाशित कर दी गई है और 16-17 नवम्बर, 2017 को हुई निष्पादन समीक्षा बैठक में राज्य प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई।

की गई प्रगति पर नजर रखने के लिए अंतराल का विश्लेषण किया गया है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे मिशन अंत्योदय के तहत की जाने वाली हस्तक्षेप कार्रवाई की योजना को आने वाले वित्त वर्ष की योजना के साथ समनुरूप करें।

ग्रामीण विकास विभाग ने भी समाभिरूपता हासिल करने के लिए सक्रिय कार्यकलाप करने हेतु उपयुक्त संबंधित मंत्रालयों को सूचना दी है।

13. 34 हमारी सरकार ने किसानों की आमदनी को दोगुना करने के हमारे संकल्प के समर्थन हेतु मनरेगा को उन पर अभिमुख करने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान करते हुए, मनरेगा को खेती की उत्पादकता और आमदनी में सुधार लाने हेतु उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन करना चाहिए। मनरेगा निधियों से, पिछले

2017-18 में 5 लाख कृषि तालाबों के लक्ष्य के मुकाबले, 15.1.2018 तक 3.91 लाख कृषि तालाब निर्मित किए गए हैं। मनरेगा में उत्पादक आस्तियों के निर्माण के लिए मनरेगा को नई दिशा देने हेतु महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं जिससे किसानों को अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) से संबंधित 22 लाख से

अधिक निर्माण कार्य किए गए हैं जिनसे लगभग 47.10 लाख

क्रम पैरा सं. सं.

15.

बजट घोषणाओं का पाठ

कार्यान्वयन की प्रास्थिति

बजट में घोषित खेती से जुड़े 5 लाख तालाबों और 10 लाख कंपोस्ट खाद के गड़्ढों का लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त कर लिया जाएगा। वास्तव में, खेती से जुड़े 5 लाख तालाबों के लक्ष्य के मुकाबले मार्च, 2017 तक लगभग 10 लाख खेती से जुड़े तालाबों का कार्य पूरा कर लिए जाने की आशा है। वर्ष 2017-18 के दौरान, खेती से जुड़े और 5 लाख तालाबों का कार्य शुरू किया जाएगा। इस एकल उपाय से ग्राम पंचायतों को जल की कमी से अत्यधिक राहत मिल जाएगी।

[नोडल मंत्रालय/विभागः ग्रामीण विकास मंत्रालय]

हेक्टेयर भूमि लाभान्वित हुई है। इससे खेतों की उत्पादकता और आय में सुधार हुआ है।

एनआरएम निर्माण कार्यों पर हुआ व्यय वित्त वर्ष 2017-18 में एमडब्ल्यूसी (मिशन जल संरक्षण) में हुए कुल व्यय का 57 प्रतिशत रहा है।

14. 36 माननीय सदस्यगण, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वर्ष 2016-17 में मनरेगा के तहत ₹38,500 करोड़ के बजट प्रावधान को वर्ष 2017-18 में बढ़ाकर ₹48,000 करोड़ कर दिया गया है। यह मनरेगा के लिए अब तक का सबसे अधिक आवंटन है। मनरेगा की सभी परिसंपत्तियों की भू-संबद्धता (जिओ-टैग) और उन्हें लोगों की जानकारी में रखने की पहल ने बेहतर पारदर्शिता की संस्थापना की है। हम मनरेगा कार्यों की योजना के लिए अंतिश्क्ष प्रौद्योगिकी का भी बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहे हैं।

[नोडल मंत्रालय/विभागः ग्रामीण विकास मंत्रालय]

अंतिरक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए, वित्त वर्ष 2016-17 में सभी मनरेगा आस्तियों (पूर्ण निर्माण कार्य) का जियो टैगिंग शुरू किया गया।

15.1.2018 की स्थिति के अनुसार, किए जा चुके 3.29 करोड़ निर्माण कार्यों में से, 3.15 करोड़ से अधिक आस्तियां जियो टैग कर दी गई हैं

ग्रामीण विकास विभाग ने दिनांक 01.09.2017 को देश के 32 जिलों में जियो मनरेगा चरण-।। भी शुरू किया है।

15.01.2018 की स्थिति के अनुसार, 24.3 लाख कामगारों को जियो-टैग किया गया है।

जियो मनरेगा चरण-।। के तहत, जियो टैगिंग तीन चरणों में (i) निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व, (ii) निर्माण कार्य के दौरान, और (iii) निर्माण कार्य पूरा होने पर की जाएगी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को 37 अब अभूतपूर्व ढंग से लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण की गति 2016-17 में तेजी से बढ़कर प्रतिदिन 133 किमी सड़क हो गई है, जबिक 2011-2014 की अवधि के दौरान इसका औसत 73 किमी प्रतिदिन था। हमने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित खंडों में 100 से अधिक व्यक्तियों वाले पर्यावासों को सड़कों से जोड़ने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। हम यह कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2019 तक पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैंने इस योजना के लिए 2017-18 में ₹19,000 करोड़ की राशि प्रदान की है। राज्यों के अंशदान को मिलाकर, वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर ₹27,000 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी।

[नोडल मंत्रालय/विभागः ग्रामीण विकास मंत्रालय]

कुल 1,78,184 पात्र बस्तियों में से, 1,64,547 बस्तियों (92.34 प्रतिशत) को 30.11.2017 तक मंजूरी दी जा चुकी है। कुल 1,45,158 संपर्क से वंचित पात्र बस्तियों को अब सड़क

संपर्क मुहैया कराया गया है (इनमें राज्यों द्वारा जोड़ी गई 14,620 पात्र बस्तियां भी हैं) जिससे सड़क संपर्क वाली कुल बस्तियां 82 प्रतिशत हो गई हैं।

पीएमजीएसवाई ने शेष लगभग सभी पात्र बस्तियों के लिए सड़क संपर्क हेतु प्रस्तावों को भी अनुमोदित कर दिया है और आशा है कि मार्च, 2019 तक लगभग शत प्रतिशत सड़क संपर्क की सुविधा हासिल कर ली जाएगी।

15.01.2018 की स्थिति के अनुसार 6400 बस्तियों को शामिल करते हुए 25,000 कि.मी. से अधिक लम्बी सड़कें निर्मित की गई हैं।

9 राज्यों में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित ब्लॉकों में स्थित बस्तियों में भी सड़क संपर्क सुविधा देने की शुरूआत की गई है जिसका लक्ष्य 5,382 कि.मी. का निर्माण है। यह परियोजना 2016-17 में शुरू की गई है और मार्च, 2020 तक पूरा होने की संभावना है।

सं. सं.

16. 38 हम, बेघर और कच्चे मकानों में रहने वालों के लिए
2019 तक 1 करोड़ मकान पूरा करने का प्रस्ताव करते हैं। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए बजट अनुमान 2016-17 में बजट आवंटन को
₹15,000 करोड़ से बढ़ाकर 2017-18 में ₹23,000

करोड कर दिया है।

पैरा

क्रम

[नोडल मंत्रालय/विभागः ग्रामीण विकास मंत्रालय]

बजट घोषणाओं का पाठ

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत, मार्च, 2019 तक 01 करोड़ मकान निर्मित करने का लक्ष्य है।

कार्यान्वयन की प्रास्थिति

01 करोड़ मकानों के निर्माण के लक्ष्य के प्रति मार्च, 2018 तक 51 लाख मकान तथा मार्च, 2019 तक और 51 लाख मकान निर्मित किए जाने हैं।

26.12.2017 की स्थिति के अनुसार, 2017-18 में 15.57 लाख ग्रामीण मकान निर्मित किए जा चुके हैं।

एसईसीसी 2011 के आधार पर पात्र लाभानुभोगियों के रूप में 2.60 करोड़ परिवारों की पहचान की गई है।

कुल 59.11 लाख मकानों को मंजूरी दी गई है जहां 54.21 लाख लाभानुभागियों को पहली किश्त जारी की गई है और 35.65 लाख लाभानुभोगियों को दूसरी किस्त जारी कर दी गई।

अब तक, प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत 12.60 लाख मकानों का निर्माण किया जा चुका है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 19,53,208 मकानों का अनंतिम लक्ष्य, 2017-18 में अग्रिम योजना बनाने के लिए बेहतर निष्पादन करने वाले 07 राज्यों को जारी कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2017-18 में 23,000 करोड़ रु. के कुल बजटीय आवंटन में से, अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ₹20,241.24 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है।

17. 39 हम 1 मई, 2018 तक 100 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के अपने पथ पर अग्रसर हैं। 2017-18 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत ₹4,814 करोड़ के बढ़े हुए आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। [नोडल मंत्रालय]

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना विद्युत मंत्रालय की पहले से चल रही अनुमोदित योजना है। इस योजना को 12वीं योजना से आगे जारी रखने की अनुमति किसी अन्य योजना को जारी रखने पर प्रयोज्य सामान्य अनुदेशों के अनुसार प्राप्त की जाएगी।

18. 40 मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए बजट आवंटन 2017-18 में ₹4,500 करोड़ करने का भी प्रस्ताव किया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और क्रेडिट सहायता योजनाओं के लिए आवंटन तीन गुना से भी अधिक बढ़ा दिया गया है।

[नोडल मंत्रालय/विभागः ग्रामीण विकास मंत्रालय]

आवंटित निधियों को दीनदयाल अंत्योदय योजना-एनआरएलएम के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार निश्चित समयाविध में इस्तेमाल किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत, सामुदायिक संस्थाओं को मजबूत बनाने, उनसे लाभ उठाने, बैंकों के साथ उनके क्रेडिट लिंकेज और आजीविका सहायता से लाभ उठाने पर जोर दिया गया है। मूल्य श्रृंखला संबंधी हस्तक्षेप कार्रवाई करने, खेती और खेती से इतर बाजार लिंकेज की पहल करने, कृषि की स्थायी परिपाटियों के लिए क्लस्टरों के विकास, ग्रामीण उद्यमों के संवर्धन, स्वसहायता समूहों के उत्पादों और कृषि उत्पाद को बेचने के लिए 'ग्रामीण हाट' की स्थापना जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं। दूरस्थ ग्रामीण गांवों में सुरक्षित, सस्ती और समुदाय की देखरेख में ग्रामीण परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 'आजीविका ग्रामीण एक्सप्रैस योजना(एजीईवाई)' शुरू की।

सं. सं.

19. 41 सुरक्षित स्वच्छता और खुले में शौच करने का अंत करने को बढ़ावा देने में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) ने जबरदस्त प्रगति की है। ग्रामीण भारत में स्वच्छता का दायरा अक्तूबर, 2014 में 42 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 60 प्रतिशत हो गया है। अब खुले में शौच करने से मुक्त गांवों को पाइपयुक्त जल आपूर्ति के लिए प्राथमिकता दी जा रही है।

पैरा

क्रम

[नोडल मंत्रालय/विभागः पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय]

बजट घोषणाओं का पाठ

20. 42 हमारा अगले चार वर्षों में आर्सनिक और फ्लोराइड प्रभावित 28,000 पर्यावासों को सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। यह राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) का उप-मिशन होगा।

[नोडल मंत्रालय/विभागः पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय]

21. 43 ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को नए कौशल उपलब्ध कराने के लिए, 2017-18 तक कम से कम 20,000 व्यक्तियों को तत्काल प्रशिक्षण के लक्ष्य के साथ 2022 तक 5 लाख व्यक्तियों को राजगिरी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

[नोडल मंत्रालय/विभागः ग्रामीण विकास मंत्रालय]

22. 44 पंचायती राज संस्थाओं के पास विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए अभी भी मानव संसाधनों की कमी है। इस प्रयोजन हेतु 2017-18 के दौरान एक कार्यक्रम ''परिणामों के लिए मानव संसाधन सुधार" प्रारंभ किया जाएगा।

[नोडल मंत्रालय/विभागः ग्रामीण विकास मंत्रालय]

स्वच्छता कवरेज 01.01.2018 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 75.43 प्रतिशत हो गया है।

कार्यान्वयन की प्रास्थिति

दिनांक 01.01.2018 की स्थिति के अनुसार, 284 जिले, 2,586 ब्लॉक, 1,32,038 ग्राम पंचायतें और 3,02,445 गांवों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, नामतः सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, चंडीगढ़, अरुणाचल प्रदेश तथा दमन और दीव को भी खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है। खुले में शौच से मुक्त गांवों में 8,02,054 बस्तियों में से, 4,22,305 बस्तियों को दिनांक 01.01.2018 तक पाइपयुक्त जलापूर्ति योजना(पीडब्ल्यूएसएस) की सुविधा दी गई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उपिमशन के अंतर्गत, 15 राज्यों को ₹814.13 करोड़ की राशि जारी की गई है ताकि चल रही 588 स्कीमों के जिए आर्सिनक/फ्लोराइड से प्रभावित 4918 बस्तियों को कवर किया जा सके। आर्सिनक या फ्लोराइड से प्रभावित 25 प्रतिशत से अधिक बस्तियों के लिए चल रही स्कीमों के लिए दूसरी बार धनराशि जारी करने के संबंध में इस मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है और 01.01.2018 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को 307.86 करोड़ रु. की राशि जारी की जा चुकी है जो ऐसी चल रही 64 योजनाओं में इस्तेमाल की जाएगी।

नई योजनाओं के लिए इन राज्यों को 692.13 करोड़ की कुल राशि जारी की गई, नामतः तेलंगाना (₹440.51 करोड़), बिहार (₹80.37 करोड़), झारखंड (₹7.25 करोड़), हरियाणा (₹9.63 करोड़) और पश्चिम बंगाल (₹154.37 करोड़)।

19 दिसम्बर, 2017 की स्थिति के अनुसार, उपिमशन के तहत 1814.13 करोड़ रु. की कुल राशि जारी की जा चुकी है।

18.12.2017 की स्थिति के अनुसार 5107 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और 1057 व्यक्ति ग्रामीण राजिश प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रशिक्षित व्यक्तियों में से 3689 व्यक्तियों का मूल्यांकन किया गया है और 3090 व्यक्तियों को एनएसडीसी द्वारा ग्रामीण राजिश के रूप में प्रमाणित किया गया है। इस प्रक्रिया की रफ्तार में तेजी लाई जा रही है।

''ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में बेहतर परिणामों के लिए निष्पादन आधारित भुगतान'' के संबंध में पूर्व वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई।

इस समिति को ग्राम पंचायत, आईपी और डीपी स्तर पर उपलब्ध मानव संसाधनों की जांच करने और ऐसे तरीके सुझाने का अधिदेश प्राप्त है जिनसे कार्यक्रमों के बेहतर परिणामों के लिए इन मानव संसाधनों में वृद्धि की जा सके और इन्हें संगठित किया जा सके।

क्रम पैरा बजट घोषणाओं का पाठ कार्यान्वयन की प्रास्थिति सं. सं.

> समिति ने निष्पादन आधारित भुगतान का पक्ष लेते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

> समिति द्वारा प्रस्तावित सुधार प्रथम दृष्ट्या व्यवहार्य प्रतीत होते हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श करके उनका विश्लेषण किया जा रहा है।

23. 48 हमने अपने विद्यालयों में वार्षिक ज्ञान परिणाम मापने की प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव किया है। स्थानीय नवोन्मेषी सामग्री के जिए सृजनशीलता को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान की शिक्षा और पाठ्यक्रम में लचीलेपन पर बल दिया जाएगा।

> [नोडल मंत्रालय/विभागः स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग]

प्रारंभिक स्तर तक भाषाओं (हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू), गणित, पर्यावरणीय अध्ययन, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में प्रत्येक कक्षा के संबंध में ज्ञान संबंधी शिक्षण परिणामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन्हें तैयार किए गए केन्द्रीय नियमों में शामिल किया गया है। 21 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने राज्य नियमों में ज्ञान संबंधी परिणामों को शामिल कर दिया है जबकि शेष राज्यों ने प्रक्रिया आरंभ कर दी है। आशा है कि यह मार्च, 2018 तक पूरी हो जाएगी।

वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) 13 नवम्बर, 2017 को आयोजित किया गया था। देश के 700 जिलों (प्रामीण और शहरी दोनों) के लगभग 1,10,000 स्कूलों के कक्षा 3, 5 और 8 के लगभग 22 लाख विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया गया। सर्विशक्षा अभियान(एसएसए) के अंतर्गत, विशेषकर उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान की शिक्षा पर बल दिया गया है। प्रारंभिक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यकलाप करने हेतु वर्ष 2017-18 के लिए एसएसए के अंतर्गत प्रति जिला ₹25 लाख का आवंटन किया गया है।

24. 49 III. युवा वर्गव्यापक पहुंच, लेंगिक समानता और गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने हेतु माध्यमिक शिक्षा के लिए नवोन्मेष निधि सृजित की जाएगी। इसमें आईसीटी समर्थित ज्ञान रूपांतरण शामिल होगा। ध्यान शैक्षिक रूप से पिछड़े 3479 ब्लॉकों पर होगा।

> [नोडल मंत्रालय/विभागः स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग]

चालू वित्त वर्ष 2017-18 के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के मौजूदा बजट के अंतर्गत ''नवोन्मेष निधि'' निर्धारित की गई है।

स्थायी वित्त समिति ने नवोन्मेष निधि के सृजन के लिए प्रस्ताव का मूल्यांकन किया। माध्यमिक शिक्षा के लिए नवोन्मेष निधि संबंधी दिशा-निर्देश सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित कर दिए गए हैं। अब तक देश के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों के लिए, ₹70 करोड़ के परिव्यय वाली नवोन्मेष निधि के अंतर्गत 22 राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों को अनुमोदित किया जा चुका है।

25. 50 उच्च शिक्षा में हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में सुधार प्रारंभ करेंगे। अच्छी गुणवत्ता वाली संस्थाओं को बेहतर प्रशासनिक और शैक्षणिक स्वायत्त प्राप्त करने में समर्थ बनाया जाएगा। महाविद्यालयों की पहचान प्रत्यायन और रैंकिंग के आधार पर की जाएगी और उन्हें स्वायत्त होने का दर्जा दिया जाएगा। परिणाम पर आधारित प्रत्यायन और क्रेडिट आधारित कार्यक्रमों के लिए एक संशोधित ढांचा तैयार किया जाएगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः उच्चतर शिक्षा विभाग]

यूजीसी विनियमों पर पुनर्विचार किया गया है और उनके एनएएसी ग्रेडों के आधार पर उन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता-यूजीसी द्वारा अनुमोदित नया फ्रेमवर्क/दिशा-निर्देश पब्लिक डोमेन में रखे गए हैं/अपलोड कर दिए गए हैं।

संशोधित प्रत्यायन के लिए मसौदा फ्रेमवर्क पर हितधारकों के साथ परामर्श किए जा रहे हैं।

पैरा बजट घोषणाओं का पाठ कार्यान्वयन की प्रास्थिति क्रम सं. सं. हम सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने और कम से मानव संसाधन मंत्रालय ने ''मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स (एमओओसी) 51 26. और उनके संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। कम 350 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों वाले प्लेटफार्म स्वयं शुरू करने का प्रस्ताव करते हैं। यह विद्यार्थियों को इस समय 'स्वयं' पर लगभग 593 ऑनलाइन कोर्स सूचीबद्ध हैं और लगभग 260 एमओओसी परिचालित किए गए हैं। सर्वोत्तम अध्यापकगणों द्वारा पढ़ाए गए पाठ्यक्रमों को आभासी रूप से उपस्थित होने, उच्च गुणवत्ता ''स्वयं'' को डीटीएच चैनलों के साथ जोड़ने और इसके विस्तार के वाले पाठन संसाधनों तक पहुंच; वाद-विवाद मंचों पर लिए, जीसैट-15 के दो ट्रांसपोंडरों और 32 डीटीएच शैक्षिक टीवी भागीदारी; परीक्षा देने और शैक्षणिक ग्रेड प्राप्त करने चैनलों को प्रचालनरत किया गया है।

[नोडल मंत्रालय/विभागः उच्चतर शिक्षा विभाग]

विस्तार किया जाएगा।

में समर्थ बनाएगा। ''स्वयं'' तक पहुंच को शिक्षा के लिए समर्पित डीटीएच चैनलों के साथ जोड़कर इसका

27. 52 हम उच्च शिक्षण संस्थाओं में सभी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए स्वायत्त और स्व-संपोषित प्रमुख समीक्षा संगठन के रूप में एक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव करते हैं। यह सीबीएसई, एआईसीटीई और अन्य प्रमुख संस्थाओं को इन प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त कर देगी ताकि वे शैक्षिक कार्यों पर अधिक ध्यान दे सकें।

[नोडल मंत्रालय/विभागः उच्चतर शिक्षा विभाग]

28. 54 प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों (पीएमकेके) को पहले ही 60 से ज्यादा जिलों में शुरू किया जा चुका है। हम अब देश भर में 600 से ज्यादा जिलों में इन केंद्रों का विस्तार करने का प्रस्ताव करते हैं। देश भर में 100 भारत अंतरराष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किए जांएगे। ये केंद्र उन्नत प्रशिक्षण और विदेशी भाषाओं में भी पाठ्यक्रम पेश करेंगे। यह हमारे उन युवकों की

तलाश रहे हैं।

[नोडल मंत्रालय/विभागः कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय]

सहायता करेंगे जो देश से बाहर नौकरी के अवसर

29. 55 हम 2017-18 में ₹4000 करोड़ की लागत से आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता कार्यक्रम (संकल्प) शुरू करने का भी प्रस्ताव करते हैं। संकल्प ₹3.5 करोड़ युवाओं को बाजार संगत प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

> [नोडल मंत्रालय/विभागः कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय]

मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। एनटीए आरंभ में वे प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करेगी जो इस समय सीबीएससी द्वारा आयोजित की जा रही हैं। अन्य परीक्षाएं धीरे-धीरे शुरू की जाएंगी जब एनटीए पूरी तरह तैयार हो जाएगा।

सोसायटी के पंजीकरण, महानिदेशक, अध्यक्ष आदि की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।

प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र(पीएमकेके):

दिनांक 24.11.2017 की स्थिति के अनुसार, 527 पीएमकेके 27 राज्यों को आवंटित किए गए हैं जिनमें 484 जिले और 406 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं।

भारत अंतरराष्ट्रीय कौशल केन्द्र (आईआईएससी): 14 आईआईएससी पहले ही प्रचालनरत है, 07 और आईआईएससी का चयन किया गया है और इन्हें जल्द ही प्रचालनरत कर दिया जाएगा। आईआईएससी के मौजूदा दिशा-निर्देशों में संशोधन किया जा रहा है ताकि वे बाजार प्रेरित बन सकें। संशोधित दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद चरण-1 और 2 शुरू किए जाएंगे।

'संकल्प' योजना के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

'संकल्प' विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित कर दी गई है। सचिव, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की अध्यक्षता में परियोजना संचालन समिति (पीएससी) गठित की गई है। परियोजना प्रबंधन परामर्शी (पीएमसी) फर्म और स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी (आईवीए) को नियुक्त करने के लिए कार्रवाई चल रही है।

क्रम पैरा बजट घोषणाओं का पाठ कार्यान्वयन की प्रास्थिति सं. सं.

30. 56 औद्योगिक मूल्यवर्द्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राईव) का अगला चरण भी 2017-18 में ₹2,200 करोड़ खर्च करके शुरू किया जाएगा। स्ट्राईव का ध्यान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में दिए जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता और बाजार संगतता में सुधार करने और उद्योग समूह दृष्टिकोण के जिए प्रशिक्षु पाठ्यक्रमों के सुदृढ़ीकरण पर होगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय]

व्यय वित्त समिति ने औद्योगिक मूल्यवर्द्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राईव) योजना का मूल्यांकन किया है और आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने इसे अनुमोदित कर दिया है। भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच वित्त करार पर हस्ताक्षर किए जाने हैं। इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2017-18 हेतु ₹50 करोड़ की राशि उपलब्ध है।

31. 57 कपड़ा क्षेत्र में रोजगार सृजन का विशेष कार्यक्रम पहले ही शुरू किया जा चुका है। इसी तरह की स्कीम चमड़ा और फुटवियर उद्योग के लिए क्रियान्वित की जाएगी।

> [नोडल मंत्रालय/विभागः औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग]

32. 58 पर्यटन बड़ा रोजगार सृजक है और इसका अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव पड़ता है। राज्यों की भागीदारी से विशेष प्रयोजन साधनों (एसपीवी) पर निर्भर रहते हुए पांच विशेष पर्यटन क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। पूरे विश्व में अतुल्य भारत 2.0 अभियान शुरू किया जाएगा।

[नोडल मंत्रालय/विभागः पर्यटन मंत्रालय]

33. 60 **IV. गरीब तथा विशेष सुविधाओं से वंचित वर्ग**(क) सबका साथ सबका विकास बालिका और
महिलाओं से शुरू होता है। गांव स्तर पर 14
लाख आईसीडीएस आंगनवाड़ी केंद्रों में ₹500
करोड़ के आवंटन से महिला शक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यह ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषाहार के अवसरों के लिए 'वन स्टाप' सामूहिक सहायता सेवाएं प्रदान करेगा। सरकार ने चमड़े और फुटवियर क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए 15.12.2017 को एक विशेष पैकेज अनुमोदित किया है जिसमें तीन वर्षों में 3.24 लाख नौकरियां सृजित करने की संभावना और 2 लाख नौकरियों को संगठित रूप देने में सहायता करने की क्षमता है। इस पैकेज में 2017-18 से 2019-20 के दौरान ₹2,600 करोड़ के व्यय से 'भारतीय फुटवियर, चमड़ा और अनुषंगी विकास कार्यक्रम' की केन्द्रीय स्कीम का कार्यान्वयन शामिल है।

देश में पाँच विशेष पर्यटन क्षेत्र स्थापित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार कर लिए गए हैं।

दिशा-निर्देशों और योजना के संबंध में केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और निजी क्षेत्र के हितधारक परामर्श सितंबर 2017 में आयोजित किए गए थे। मंत्रालय इस योजना के लिए ईएफसी नोट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में लगा है। अतुल्य भारत अभियान शुरू किया गया है और टेलीविजन, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया पर रिलीज़ किया जा रहा है।

(क) भारत सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 2017-18 के दौरान और 2019-20 तक कार्यान्वित की जाने वाली महिला शक्ति केन्द्र (एमएसके) नामक एक नई योजना का मंजूरी दी है। एमएसके ब्लॉक स्तर के कार्यों में देश के सबसे पिछड़े 115 ज़िलों में कॉलेज के विद्यार्थी- स्वयंसेवकों के जिए सामुदायिक सेवा की जाएगी। विद्यार्थी- स्वयंसेवक जागरूकता पैदा करने में भूमिका निभाएंगे। वर्ष 2017-18 के दौरान, 50 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में 400 ब्लॉकों (प्रति जिला 08 ब्लॉक) में ब्लॉक स्तर के कार्य किए जाएंगे। महिलाओं के जिला स्तर के केन्द्र (डीएलसीडब्ल्यू) भी 640 ज़िलों में चरणबद्ध रूप से भी स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2017-18 के दौरान, 220 डीएलसीडब्ल्यू स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर विषय आधारित विशेषज्ञों के जिरए सहायता दी जाएगी और राज्य स्तर पर राज्य महिला संसाधन केन्द्रों (एसआरसीडब्ल्यू) के जिएए तकनीकी सहायता दी जाएगी।

क्रम पैरा बजट घोषणाओं का पाठ कार्यान्वयन की प्रास्थिति सं. सं.

- (ख) माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 31 दिसम्बर, 2016 को गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता की राष्ट्रव्यापी स्कीम की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। इस स्कीम के अंतर्गत उस गर्भवती महिला के बैंक खाते में सीधे ₹6,000 अंतरित कर दिए जाएंगे जो किसी चिकित्सा संस्था में बच्चे को जन्म देगी और अपने बच्चों का टीकाकरण कराएगी।
- [नोडल मंत्रालय/विभागः महिला एवं बाल विकास मंत्रालय]
- (ख) सरकार ने मातृत्व लाभ योजना को समग्र भारत में कार्यान्वित किए जाने को मंजूरी दे दी है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 19.05.2017 को प्रशासनिक अनुमोदन सूचित कर दिया गया है। दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निलम्ब (एस्क्रो) खातों में निधियां जारी कर दी गई हैं। इस कार्यक्रम को 'प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना' का नाम दिया गया है। लाभानुभोगियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड में निधियां संवितरित की जा रही हैं।
- 34. 62 हम सस्ते आवासों में अधिक निवेश सुसाध्य बनाने का प्रस्ताव करते हैं। सस्ते आवासों को अवसंरचना का दर्जा दिया जाएगा जो इन परियोजनाओं को इनसे संबंधित लाभ लेने में समर्थ बनाएगा।
 [नोडल मंत्रालय/विभागः आर्थिक कार्य विभाग]

सस्ते आवासन को दिनांक 30 मार्च, 2017 की राजपत्र अधिसूचना के जरिए अवसंरचना का दर्जा दिया गया है।

35. 63 राष्ट्रीय आवास बैंक 2017-18 में लगभग रु. 20,000 करोड़ के व्यष्टि आवास ऋणों का पुनर्वित्तपोषण करेगा। विमुद्रीकरण से उत्पन्न अधिक नकदी को धन्यवाद कि बैंकों ने आवासों सिहत अपनी उधार देने की दरें पहले ही कम करनी शुरू कर दी हैं। इसके अतिरिक्त, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आवास ऋणों के लिए ब्याज सहायता की घोषणा भी की गई है। [नोडल मंत्रालय/विभागःवित्तीय सेवाएं विभाग]

एमआईजी के लिए क्रेडिट संबद्ध सब्सिडी योजना हेतु प्रचालन दिशा-निर्देश भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए जा चुके हैं।

36. 64 गरीबी सामान्यतया कमजोर स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। यह गरीब ही होते हैं जो विभिन्न दीर्घकालिक बीमारियों से सबसे अधिक पीड़ित होते हैं। इसलिए सरकार ने 2017 तक कालाजार और फिलारियासिस, 2018 तक कोढ़ और 2020 तक खसरा समाप्त करने की कार्य योजना तैयार की है। 2025 तक तपेदिक समाप्त करने का लक्ष्य भी है। इसी तरह, आईएमआर 2014 में 39 से घटाकर 2019 तक 28 और एमएमआर 2011-13 में 167 से घटाकर 2018-2020 तक 100 करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है। 1.5 लाख स्वास्थ्य उप-केंद्रों को स्वास्थ्य और तंदुरूस्ती केंद्रों में बदला जाएगा।

[नोडल मंत्रालय/विभागः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय] कालाजार, फिलेरियासिस, कुष्ठ रोग, खसरा और क्षय-रोग को मिटाने के लिए चल रहे विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत कार्रवाई की जा रही है। पांच (5) राज्यों (21 राज्यों में से) और 96 ज़िलों (256 ज़िलों में से) ने उन्मूलन का दर्जा हासिल करने के बाद व्यापक स्तर पर दवा खिलाने (एमडीए) की प्रक्रिया रोक दी है। अन्य राज्यों/ज़िलों में चलाए जा रहे एमडीए कार्यक्रलाप में प्रशिक्षण देने वालों को प्रशिक्षण देना, कॉल सेंटर की स्थापना करना और कार्यशालाओं का आयोजन करना शामिल है। खसरा और रूबेला (आईईएजी-एमआर) से संबंधी भारत विशेषज्ञ सलाहकार समूह की दूसरी बैठक 9-10 नवम्बर, 2017 को आयोजित की गई थी। मिशन इंद्रधनुष जैसे मौजूदा कार्यक्रमों, रोटावायरस वैक्सीन के विस्तार, खसरा-रूबेला अभियान को मजबूत बनाया गया है। प्रसवोत्तर देख-रेख को सुदृढ़ करने के लिए क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है जिसमें अधिक जोखिम वाले गर्भकाल के मामलों पर नज़र रखना, गहन डायरिया नियंत्रण फोर्टनाइट का कार्यान्वयन, 146 उच्च प्रजनन क्षमता वाले ज़िलों में मिशन परिवार विकास का कार्यान्वयन और न्यूमोकोकल कंज्यूगेट वैक्सीन की शुरूआत करना शामिल है।

क्रम पैरा बजट घोषणाओं का पाठ कार्यान्वयन की प्रास्थिति सं. सं.

वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उपलब्ध संसाधनों की परिधि में ही स्वास्थ्य एवं तंदरूस्ती केन्द्रों के रूप में लगभग 4000 उप केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ किए जाने का प्रस्ताव है। अब तक 3871 स्वास्थ्य एवं तंदरूस्ती केन्द्रों के लिए राज्यों को अनुमोदन जारी किया जा चुका है।

37. 65 हमें द्वितीयक और तृतीयक स्तरों की स्वास्थ्य देखभाल सुदृढ़ करने के लिए विशेषज्ञ डाक्टरों की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने की जरूरत होगी। इसलिए हमने प्रति वर्ष अतिरिक्त 5,000 स्नातकोत्तर सीटें सृजित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, बड़े जिला अस्पतालों में डीएनबी पाठ्यक्रम शुरू करने; चुनिंदा ईएसआई और नगर निगमों के अस्पतालों में स्नातकोत्तर शिक्षण सुदृढ़ करने और ख्यातिप्राप्त निजी अस्पतालों को डीएनबी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उपाय किए जांएगे। हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर इन कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सरकार भारत में चिकित्सा, शिक्षा और प्रैक्टिस के विनियामक ढांचे के संरचनात्मक परिवर्तन के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए वचनबद्ध है।

[नोडल मंत्रालय/विभागः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय]

38. 66 झारखंड और गुजरात में दो नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित किए जाएंगे।

> [नोडल मंत्रालय/विभागः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय]

39. 67 हम औषधियों की उपलब्धता किफायती कीमतों पर सुनिश्चित करने तथा जेनेरिक औषधियों को बढ़ावा देने के लिए औषध और सौंदर्य प्रसाधन नियमावली में संशोधन करने का प्रस्ताव करते हैं। चिकित्सा उपकरणों को विनियमित करने के लिए नई नियमावली भी तैयार की जाएगी। ये नियम अंतरराष्ट्रीय नियमानुसार होंगे और इस क्षेत्र में निवेश आएगा। इससे इन उपकरणों की लागत कम होगी।

[नोडल मंत्रालय/विभागः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय] 5,000 के लक्ष्य के प्रति लगभग 5,800 पीजी सीटें बढ़ाई गई हैं। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) से कहा गया है कि बड़े जिला अस्पतालों और प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों में डीएनबी पाठयक्रम शुरू करने के लिए कदम उठाए। शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से राज्य सरकारों को मेडिकल कॉलेज स्थापित करने और नगर-निगमों द्वारा पीजीएमईआर की स्थापना/नए अथवा उच्चस्तरीय पाठ्यक्रमों को शुरू करने से संबंधित दिशा-निर्देश परिचालित किए हैं।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 15.12.2017 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) विधेयक को अनुमोदित कर दिया है।

झारखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित करने के लिए देवघर में एक स्थान का चयन किया गया है, निष्पादनकारी एजेंसी नियुक्त की गई है, डीपीआर को मंजूरी दे दी गई है और निवेश पूर्व कार्य चल रहे हैं।

गुजरात में, राज्य सरकार द्वारा चार स्थलों की पेशकश की गई है जिनका निरीक्षण केन्द्रीय दल द्वारा किया गया है और उनकी सिफारिशें अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर दी गई हैं।

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 में संशोधन के लिए मसौदा नियम 30.3.2017 को अधिसूचित किए गए और हितधारकों से सुझाव मांगे गए। उन सुझावों पर विचार किया गया और हितधारकों के साथ बैठक आयोजित की गई। अंतिम अधिसूचना का मसौदा तैयार किया जा रहा है।

चिकित्सीय उपकरण नियमावली, 2017 अधिसूचित कर दी गई है।

क्रम	पैरा	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
सं.	सं.		

40. 68 हम एक श्रमानुकूल माहौल बनाना चाहते हैं जहां श्रमिक अधिकारों की रक्षा होगी और सौहार्दपूर्ण संबंधों से उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी। मौजूदा श्रम कानूनों को सरल और युक्तिसंगत बनाने तथा इन्हें (i) वेतन (ii) औद्योगिक संबंध (iii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण तथा (iv) सुरक्षा और कार्य स्थितियों पर 4 संहिताओं में सम्मिलित करने के लिए विधायी सुधार किए जाएंगे। आदर्श दुकान और स्थापना विधेयक, 2016 पर विचार करने और इसे अपनाने के लिए सभी राज्यों को परिचालित किया गया है। इससे महिला रोजगार के अतिरिक्त रास्ते खुलेंगे। वेतन भुगतान अधिनियम में किया गया संशोधन श्रमिकों और ईज़ आफ डूइंग बिजनेस के लाभार्थ हमारी सरकार द्वारा की गई एक और पहल है।

[नोडल मंत्रालय/विभागः श्रम मंत्रालय]

41. 69 हमारी सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन को विशेष महत्व दे रही है। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए किया जाने वाला आवंटन बजट अनुमान 2016-17 में ₹38,833 करोड़ से बढ़ाकर 2017-18 में ₹52,393 करोड़ किया गया है जो लगभग 35 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए किया जाने वाला आवंटन बढ़ाकर ₹31,920 करोड़ किया गया है और अल्पसंख्यक मामलों का आवंटन ₹4,195 करोड़ किया गया है। सरकार नीति आयोग द्वारा इन क्षेत्रों में व्यय की परिणाम आधारित निगरानी की शुरूआत करेगी।

[नोडल मंत्रालय/विभागः न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नीति आयोग,अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय,जनजातीय कार्य मंत्रालय]

42. 70 वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार आधारित स्मार्ट कार्ड योजना की शुरूआत की जाएगी जिसमें उनका स्वास्थ्य संबंधी ब्यौरा दर्ज होगा। वर्ष 2017-18 के वेतन संहिता विधेयक दिनांक 10.8.2017 को लोकसभा में पेश किया गया और उसे श्रम संबंधी स्थायी सिमति को सौंप दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा और कल्याण संहिता से संबंधित प्रारंभिक मसौदा दिनांक 16.3.2017 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसमें हितधारकों/जनता से टिप्पणियां मांगी गई हैं। हितधारकों/जनता से प्राप्त टिप्पणियों की जांच की गई है। यह इस समय विधायी एवं परामर्शी चरण से पूर्व के स्तर पर है।

औद्योगिक संबंध संहिता के संदर्भ में मंत्रियों की एक अनौपचारिक सिमित ने विधेयक की जांच की है और इस पर विचार-विमर्श करने की इच्छा व्यक्त की है। दिनांक 04.10.2017 को एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गई थी जिसमें श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मजदूर संघों, नियोक्ता संघों एवं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल थे। औद्योगिक संबंध संहिता विधायी एवं परामर्शी चरण से पूर्व के स्तर पर है।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति का मसौदा विधायी-परामर्शी चरण से पूर्व स्तर पर है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालयः

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए किए गए आवंटन को मानीटर करने वाला नोडल मंत्रालय है। डैशबोर्ड के जरिए एक मानीटरिंग फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और विभिन्न मंत्रालयों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों के माध्यम से मॉनीटरिंग की जा रही है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय:

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के संबंध में व्यय प्रस्तावों के परिणाम आधारित मानीटरिंग तंत्र का प्रस्ताव दिनांक 08.12.2017 को नीति आयोग को अग्रेषित किया गया है। नीति आयोग से प्राप्त सूचना के आधार पर, नीति आयोग को संशोधित फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया जा रहा है।

जनजातीय कार्य मंत्रालयः

योजना के तहत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए किए आवंटनों को मॉनीटर करने, आवंटनों के संदर्भ में व्यय को मॉनीटर करने, वास्तविक निष्पादन को मॉनीटर करने और परिणामों को मॉनीटर करने के लिए https://stcmis.gov.in/ पर एक ऑनलाइन मॉनीटरिंग तंत्र स्थापित किया गया है। नीति आयोग ने निष्पादन-परिणाम बजट 2017-18 को मॉनीटर करने के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड तैयार किया है।

वित्तीय सेवाएं विभागः

प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) को अब 04 मई, 2017 को एलआईसी द्वारा सॉफ्ट लांच किया गया है। एलआईसी

क्रम पैरा सं. सं. बजट घोषणाओं का पाठ

कार्यान्वयन की प्रास्थिति

दौरान 15 जिलों में प्रायोगिक योजना के जिए इसकी शुरूआत की जाएगी। एलआईसी वरिष्ठ नागरिकों के लिए निश्चित पेंशन की योजना क्रियान्वित करेगी जिसमें 10 वर्ष के लिए 8 प्रतिशत प्रति वर्ष का गारंटीकृत प्रतिलाभ मिलेगा।

[नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवाएं विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय] ने सूचित किया है कि उनके द्वारा उनके सभी कार्यालयों को आवश्यक परिपत्र और अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालयः

यूआईडीएआई, एनआईसी और अन्य भागीदारों से प्राप्त जानकारी के आधार पर एसएफसी नोट तैयार किया जाना है। योजना तैयार किए जाने पर विचार किया जा रहा है।

43. 72 रेलवे, सड़कें और नदियां देश की जीवन रेखा हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं स्वतंत्र भारत का पहला संयुक्त बजट प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें रेलवे भी शामिल है। अब हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम निवेश को रेलवे, सड़कों, जलमार्गों और नागर विमानन में लगा सकते हैं। वर्ष 2017-18 के लिए, रेलवे की कुल पूंजी और विकास संबंधी व्यय ₹1,31,000 करोड़ रखा गया है। इसमें सरकार द्वारा मुहैया कराए गए ₹55,000 करोड़ शामिल हैं।

[नोडल मंत्रालय/विभागः सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय]

44. 74 यात्री सुरक्षा के लिए, 5 वर्ष की अवधि में ₹1 लाख करोड़ रुपए की निधि से एक राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष सृजित किया जाएगा। सरकार से प्राप्त मूल पूंजी के अलावा रेलवे अपने स्वयं के राजस्व और अन्य स्रोतों से शेष संसाधनों की व्यवस्था करेगा। सरकार इस कोष से वित्तपोषण किए जाने वाले विभिन्न सुरक्षा संबंधी कार्यों के क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट दिशानिर्देश और समय-सीमा निर्धारित करेगी। ब्राड गेज लाइनों पर मानव रहित लेवल क्रासिंग को 2020 तक समाप्त किया जाएगा। सुरक्षा तैयारी और अनुरक्षण व्यवहार को बेहतर बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की

[नोडल मंत्रालय/विभागः रेल मंत्रालय]

सहायता ली जाएगी।

45. 75 अगले तीन वर्षों में, समग्र परिणाम में 10 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है। इसे चिह्नित कॉरिडोरों के आधुनिकीकरण और उन्नयन के जिरए किया जाएगा। वर्ष 2016-17 में 2,800 कि.मी. रेलवे लाइनों की तुलना में 2017-18 में 3,500 किमी राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अधिनियमन से राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल संख्या 111 हो गई है। इसने देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के बेहतर विनियमन और विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। राष्ट्रीय जलमार्गों के उपयुक्त विकास के लिए, वित्त पोषण को संपोषणीय स्रोत बेहद जरूरी है क्योंकि बजटीय सहायता और बहुपक्षीय संस्थाओं से प्राप्त निधियां अपर्याप्त होती हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग उपकर को 41.5 प्रतिशत से घटाकर 39 प्रतिशत करके केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) का 2.5 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित करने के उपाय किए हैं।

सीआरएफ (संशोधन) विधेयक, 2017 दिनांक 19.12.2017 को लोकसभा में पारित किया गया। यह विधेयक राज्यसभा में विचारार्थ लम्बित है।

सुरक्षा निधि अर्थात् राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (आरआरएसके) 5 वर्षों की अविध में विभिन्न सुरक्षा कार्यों को वित्त पोषित करने के लिए स्थापित की गई है। वर्ष 2017-18 के लिए, ₹20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस कोष से ली गई निधियां चल रहे विभिन्न और नए कार्यों को वित्त पोषित करने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी जो पूंजी शीर्ष यातायात सुविधाएं- यार्ड रीमॉडलिंग और अन्य, रोलिंग स्टाक, सड़क सुरक्षा कार्य-लेवल क्रासिंग, सड़क सुरक्षा कार्य- सड़क ओवर/अंडर ब्रिज, पटिरयों का नवीकरण, पुल संबंधी निर्माण कार्य, सिग्नल और दूरसंचार कार्य, अन्य वैद्युत कार्य, ट्रैक्शन वितरण कार्य, मशीनरी और संयंत्र, वर्कशाप जिनमें उत्पादन यूनिटें और प्रशिक्षण/एचआरडी के तहत शामिल होंगे। आरआरएसके के उपयोग के संबंध में वित्त मंत्रालय ने दिशा-निर्देश सुचित कर दिए हैं।

वर्ष 2020 तक मानव रहित लेवल क्रासिंग को समाप्त करने का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है।

थ्रोपुट में वृद्धिः पहले चरण में, 25 टी एक्सल लोड रिनंग के लिए दिक्षण-पूर्व रेलवे, दिक्षण-पूर्व-मध्य रेलवे और पूर्वी तट रेलवे की पहचान की गई है। थ्रोपुट में वृद्धि करने के लिए लम्बी दूरी वाली ट्रेनें भीड़-भाड़ वाले खंडों में से गुजरेंगी। क्षमता में वृद्धि करने के लिए 2017-18 में 3500 कि.मी. लम्बा ट्रैक निर्मित किया जाएगा।

लाइनें शुरू की जाएंगी। पर्यटन और तीर्थाटन के लिए समर्पित रेलगाड़ियां शुरू करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

बजट घोषणाओं का पाठ

[नोडल मंत्रालय/विभागः रेल मंत्रालय]

पैरा

सं.

क्रम सं.

रेलवे लाइनें खोली गई हैं। पर्यटन और तीर्थ यात्रा के लिए समर्पित ट्रेनों की शुरूआतः भारतीय रेलवे आईआरसीटीसी/ राज्य पर्यटन निगमों के साथ मिलकर पहले ही अनेक समर्पित पर्यटन ट्रेनें चला रहा है। नवम्बर, 2017 के दौरान, भारत दर्शन ट्रेनों के 08 ट्रिप, आस्था सर्किट ट्रेन का 01 ट्रिप, बौद्ध विशेष ट्रेन का 01 ट्रिप, राज्य विशेष ट्रेनों के 19 ट्रिप, महाराजा एक्सप्रेस लक्जरी ट्रेनों के 05 ट्रिप और पैलेस ऑन व्हील्स के 05 ट्रिप तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए समर्पित पर्यटक ट्रेनों के रूप में चलाए गए हैं।

कार्यान्वयन की प्रास्थिति

46. 77 स्टेशनों के पुनर्विकास के संबंध में शुरूआत की जा चुकी है। स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए 2017-18 के दौरान कम से कम 25 स्टेशनों का चयन किए जाने की संभावना है।

> लिफ्ट और एस्कलेटरों की व्यवस्था करके 500 स्टेशन दिव्यांगजन अनुकूल बनाए जाएंगे।

[नोडल मंत्रालय/विभागः रेल मंत्रालय]

हबीबगंज और गांधीनगर स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य शुरू हो चुका है। इस समय रेल मंत्रालय तेजी से स्टेशनों का पुनर्विकास करने की संशोधित योजनाएं तैयार कर रहा है। स्टेशनों के पुनर्विकास की संशोधित कार्य नीति को अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद और अधिक स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा।

निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए दिव्यांगजन के लिए अनुकूल स्थितियों वाले स्टेशनों पर कार्य अगले 05 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। अब तक 167 स्टेशनों पर 430 एस्कलेटर और 122 स्टेशनों पर 279 लिफ्टों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, 132 स्टेशनों पर लगभग 346 एस्कलेटरों और 112 स्टेशनों पर 357 लिफ्टों के निर्माण का कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त, लगभग 500 स्टेशनों पर लिफ्ट संस्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

47. 78 मध्यावधिक संदर्भ में 7,000 स्टेशनों पर सौर विद्युत की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। 300 स्टेशनों में पहले ही इसकी शुरूआत की जा चुकी है। 1000 मेगावाट सौर मिशन के भाग के रूप में 2,000 रेलवे स्टेशनों के लिए कार्य शुरू किया जाएगा।

> [नोडल मंत्रालय/विभागः रेल मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय]

350 स्टेशनों पर 28.75 मेगावाट की सौर रूफ टॉप क्षमता संस्थापित की गई है और इनमें वाराणसी, कटरा, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, जयपुर, सिकन्दराबाद और कोलकाता जैसे बड़े स्टेशन भी शामिल है। जोनल रेलवे/पीयू (इनमें 250 स्टेशन शामिल हैं) द्वारा 37 मेगावाट की सौर रुफ टॉप क्षमता के लिए आर्डर दे दिया गया है। 950 स्टेशन कवर करते हुए 93 मेगावाट की सौर क्षमता के संबंध में भी निर्णय किया गया है। इसके अलावा, डी और ई श्रेणी के 200 स्टेशनों पर कार्य चल रहा है।

कुल मिलाकर, 2,750 स्टेशनों और अन्य भवनों के लिए योजना/ निष्पादन कर लिया गया है। शेष स्टेशनों (4250) के संबंध में, 2020-21 तक चरणबद्ध रूप से कार्य करने की योजना बनाई जा रही है।

48. 79 हमारा ध्यान स्वच्छ रेल पर है। एसएमएस आधारित "क्लीन माई कोच सेवा" शुरू की गई है। अब, कोच संबंधी सभी शिकायतों और जरूरतों को दर्ज करने के लिए एक एकल विंडों प्रणाली कोच मित्र सुविधा की शुरूआत किए जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 2019 तक,

यह सुविधा वर्ष 2017-18 में सभी ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस (ओबीएचएस) ट्रेनों (1000) पर दी जाएगी। कोच मित्र की सुविधा 13 जोनल रेलवे में 670 ट्रेनों को पहले ही दी जा चुकी है। वर्ष 2017-18 के लिए लक्ष्य 40,000 बायो टॉयलेट संस्थापित करने का है। सभी बीजी कोचों में वर्ष 2019 तक बायो टॉयलेट संस्थापित

क्रम पैरा सं. सं. बजट घोषणाओं का पाठ

कार्यान्वयन की प्रास्थिति

भारतीय रेल के सभी कोचों में जैव शौचालय लगाए जाएंगे। ठोस अपशिष्ट के पर्यावरण अनुकूल निपटान और जैविक अपशिष्ट को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रायोगिक संयंत्रों को नई दिल्ली और जयपुर रेलवे स्टेशनों पर स्थापित किया जा रहा है। इस प्रकार के पांच और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों पर कार्य किया जा रहा है।

[नोडल मंत्रालय/विभागः रेल मंत्रालय]

- 49. 80 इस समय भारतीय रेल निजी क्षेत्र के वर्चस्व वाले परिवहन के अन्य साधनों से कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही है। भारतीय रेलवे को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इसके कायापलट के उपाय किए जाने होंगे ताकि यह अपनी पूर्व प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके। अतः निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:
 - (i) रेलवे लॉजिस्टिक क्षेत्र के उद्यमियों, जो फ्रंट और बैक एंड कनेक्टिविटी मुहैया कराएंगे, के साथ भागीदारी के माध्यम से चुनिंदा वस्तुओं के लिए एंड टू एंड एकीकृत परिवहन समाधान क्रियान्वित करेगा। नाशवान वस्तुओं, विशेष कर कृषि उत्पादों के परिवहन हेतु चल स्टॉक और प्रचालनात्मक पद्धतियों को कस्टमाईज्ड किया जाएगा।

(ii) रेलवे जनता के लिए प्रतिस्पर्धी टिकट बुकिंग सुविधा की पेशकश करेगा। आईआरसीटीसी के जिरए आरक्षित किए गए ई-टिकटों पर लगाए जाने वाला सेवा प्रभार समाप्त किया गया है। कैशलेस आरक्षण 58 प्रतिशत से बढ़कर 68 प्रतिशत हो गए हैं। कर दिए जाएंगे। तथापि, इस कार्य को दिसम्बर, 2018 तक पूरा करने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। नवम्बर, 2017 में कोचों में 5417 बायो टॉयलेट संस्थापित किए गए हैं। संचयी आधार पर 33856 बायो टॉयलेट संस्थापित किए गए हैं।

जयपुर रेलवे स्टेशन पर प्रायोगिक संयंत्र संस्थापित किया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रायोगिक संयंत्र अप्रैल, 2018 तक संस्थापित किए जाने की संभावना है। जयपुर और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दो प्रायोगिक संयंत्रों के अलावा वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान पांच ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र संस्थापित किए जाएंगे।

रेलवे बोर्ड ने 20 माल शेडों की सूची तैयार की है जिन्हें पीपीपी पहल के जिए आरंभ से अंत तक संभारिकी समाधानों वाले फ्रेट टर्मिनलों में रूपांतिरत किया जाएगा। प्रत्येक माल शेड के लिए व्यावसायिक योजना तैयार की जा रही है। माल शेड के उन्नयन के लिए मसौदा नीतिगत फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। मसौदा नीति को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, भाड़े पर लिए गए संव्यवहार प्रबंधक के जिरए बोली दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बोली दस्तावेज तैयार करने की लिक्षत तारीख मार्च, 2018 है।

- (i) भारतीय रेलवे में प्रशीतित पार्सल वैनों (वीपीआर) की कुल संख्या 11 है। हाल ही में ऐसी 03 वीपीआर पश्चिम रेलवे को सौंपी गई हैं तािक वे दुग्ध उत्पादों के लिए एनडीबीबी की मांग को पूरा कर सके। ऐसी ही एक वीपीआर हैचरी उत्पादों को लाने ले जाने के लिए दक्षिण-पश्चिम रेलवे द्वारा इस्तेमाल की जा रही है। जल्दी नष्ट होने वाले पदार्थों जैसे मांस, सब्जियों इत्यादि के परिवहन के लिए प्रशीतित कंटेनरों (रीफर) से लैस कंटेनर फ्लेट (बीएलसी/ बीएलसीएन) के प्रयोग पर भी विचार किया गया है। 20 से कम रीफर कंटेनरों के परिवहन के लिए, डीजी सैट के परिवहन की लागत और इसके प्रचालन रख-रखाव की लागत सब मिलाकर परिवहन को वित्तीय दृष्टि से अव्यवहार्य बना देती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए, क्लिप-ऑन-जैनसेट (प्रत्येक कंटेनर से जुड़े जैनसेट) का प्रयोग करते हुए एक रेक में कंटेनरों की कम संख्या(20) के परिवहन के लिए परीक्षण किया जा रहा है।
- (ii) पारंपरिक तौर पर, बुकिंग कांउटरों पर नकद देकर टिकट बुक करने की सुविधा दी गई थी। आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए ई-टिकट की बुकिंग की सुविधा के जरिए कुल आरक्षित टिकटों से हुई आमदनी का लगभग 69 प्रतिशत है।

बाहरी एजेंसियों नामतः डाकघरों में पीआरएस, दूरस्थ स्थानों में राज्य सरकारों के कुछ कार्यालयों के जरिए टिकट बुक कराने की भी सुविधा दी गई। लेकिन इन सुविधाओं को बहुत कम संख्क्षण प्राप्त

क्रम पैरा बजट घोषणाओं का पाठ कार्यान्वयन की प्रास्थिति सं. सं.

है। ई-टिकटिंग और मोबाइल फोन के जिए टिकट बुक कराने की सुविधाओं को व्यापक तौर पर स्वीकारा गया है कुल टिकटों में इलैक्ट्रानिक टिकटों का हिस्सा तेजी से बढ़ रहा है और रेलवे इस मांग को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकीय परिवर्तन कर रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित और उपाय किए गए हैं:

- 1. भुगतान के डिजिटल मोड अर्थात् डेबिट/क्रेडिट कार्ड और यूपीआई/भीम के जिरए बुकिंग कांउटरों पर टिकट बुकिंग के लिए प्रायोगिक योजना 01 दिसम्बर, 2017 को शुरू की गई है।
- 2. डिजिटल भुगतान के सभी रूपों के जरिए आईआरसीटीसी वेबसाइट पर ई-टिकट बुक कराने की व्यवस्था की गई है।
- 3. इंटीग्रेटिड मोबाइल एप (रेल सारथी) जिसके लिए डिजिटल भुगतान के सभी रूप उपलब्ध हैं, के जरिए टिकटें आरक्षित करने की सुविधा।
- 4. भारतीय रेल के सभी उपशहरी खंडों पर तथा उत्तरी रेलवे के दिल्ली-पलवल और दिल्ली-गाजियाबाद खंडों के गैर उपशहरी खंडों पर पेपरलैस अनारक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए मोबाइल एप की सुविधा दी गई है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रेल के अन्य सभी स्थानों पर अनारक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए ओटीपी आधारित सुविधा दी गई है मोबाइल एप पर डेबिट/क्रेडिट कार्ड, ई-वॉलेट आदि को शामिल करने के लिए डिजिटल भुगतान के अतिरिक्त रूपों की भी व्यवस्था की गई है।
- (iii) समस्त भारतीय रेलवे में उपार्जन लेखाकंन आरंभ किया जा रहा है जो सरकारी लेखाकंन नियमों के तहत निर्धारित मौजूदा नकद आधारित वित्तीय विवरण के अतिरिक्त, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के साथ मिलकर किया जाएगा।

(iii) लेखांकन सुधारों के भाग के रूप में, मार्च 2019 तक प्रोद्भूत आधारित वित्तीय विवरणों की शुरुआत की जाएगी।

[नोडल मंत्रालय/विभागः रेल मंत्रालय]

50. 82 मेट्रो रेल शहरी परिवहन के महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभर रही है। क्रियान्वयन और वित्तपोषण के साथ- साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मानकीकरण और स्वदेशीकरण के नए मॉडल पर फोकस के साथ नई मेट्रो रेल नीति की घोषणा की जाएगी। इससे हमारे युवा वर्ग को नए रोजगार अवसर प्राप्त होंगे। [नोडल मंत्रालय/विभागः आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय]

सरकार ने दिनांक 18.8.2017 को नई मेट्रो रेल नीति अनुमोदित कर दी है। नई नीति आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।

51. 83 मौजूदा कानूनों को युक्तिसंगत बनाकर एक नया मैट्रो रेल अधिनियम अधिनियमित किया जाएगा। इससे निर्माण और संचालन में बेहतर निजी भागीदारी और निवेश का कार्य सुकर होगा।
[नोडल मंत्रालय/विभागः आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय]

रेल(निर्माण, प्रचालन और रखरखाव) विधेयक पर मसौदा मंत्रिमंडल टिप्पणी विधि और न्याय मंत्रालय के परामर्श से तैयार की जा रही

सं. सं. सड़क क्षेत्र में, मैंने राजमार्गों के लिए बजट आवंटन 84 52. को बजट अनुमान 2016-17 के ₹57,976 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2017-18 में ₹64,900 करोड़ कर दिया है। तटीय क्षेत्रों को जोड़ने वाली 2000 किलोमीटर सड़कों को निर्माण और विकास के लिए चुना गया है। उससे बंदरगाहों और दूरदराज के गांवों को जोड़ने का कार्य और अधिक सुकर होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को शामिल करते हुए वर्ष 2014-15 से चालू वर्ष तक बनाई गई सड़कों की कुल लंबाई लगभग 1,40,000 किलोमीटर है जो कि इससे पिछले तीन वर्षों की तुलना में काफी अधिक है।

बजट घोषणाओं का पाठ

पैरा

क्रम

[नोडल मंत्रालय/विभागः सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय]

53. 85 एक प्रभावशाली बहु-रूपात्मक लोजिस्टिक्स और परिवहन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाएगा। बहु-रूपात्मक परिवहन सुविधाओं के साथ बहु-रूपात्मक लोजिस्टिक्स पार्कों के विकास के लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करके इसे शीघ्र कार्यान्वित किया जाएगा।

[नोडल मंत्रालय/विभागः आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय]

54. 86 श्रेणी-2 के शहरों के चुनिंदा हवाई अड्डों के संचालन और रख-रखाव को सरकारी निजी भागीदारी के अंतर्गत लाया जाएगा।

> भू-संपत्तियों के प्रभावी मुद्रीकरण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम को संशोधित किया जाएगा। इससे जुटाए जाने वाले संसाधनों को हवाई अड्डों के उन्नयन के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

[नोडल मंत्रालय/विभागः नागर विमानन मंत्रालय]

सरकार ने पिछले तीन वर्ष की तुलना में 2014-15 से कार्य सौंपने और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं पूरी करने में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की है। इनका ब्यौरा निम्नानसार है:

कार्यान्वयन की प्रास्थिति

	J -	
वर्ष	कार्य सौंपा	निर्माण (किमी)
	(किमी.)	
कुल 2011-14	15,330	15,005
कुल 2014-17	34,018	18,702
लक्ष्य 2017-18	25,000	15,000
उपलब्धि 2017-18	2,917	4,942
(नवम्बर 2017 तक)		

वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान के ₹64,900 करोड़ के परिव्यय की तुलना में, नवम्बर, 2017 तक ₹38,485 करोड़ (59.3 प्रतिशत) खर्च किए गए थे। इसके अतिरिक्त, एनएचएआई ने नवम्बर, 2017 तक ₹27,246 करोड़ के आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन जुटाए हैं।

वाणिज्य मंत्रालय को लॉजिस्टिक्स (संभारिकी) नीति बनाने और मल्टी माडल लाजिस्टिक पार्कों (एमएमएलपी) हेतु अंतर-मंत्रालयी समन्वयन सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है। दिनांक 21.11.2017 को लाजिस्टिक्स को अवसंरचना का दर्जा दिया जा चुका है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एमएमएलपी के विकास के संबंध में मसौदा नीति तैयार की है। माडल बोली दस्तावेज तैयार किए गए हैं और उन्हें राज्य सरकारों और वाणिज्य मंत्रालय के साथ साझा किया गया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रेलवे और आईएडब्ल्यूएआई एमएमएलपी के प्रस्तावित स्थलों को व्यवहार्य बनाने के लिए ट्रंक अवसंरचना का कार्य शुरू करेगा। राज्य सरकारें भूमि उपलब्ध कराएगी और तैयार एमएमएलपी के प्रचालन और खरखाव हेतु एसपीवी बनाएगी।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने अहमदाबाद और जयपुर हवाई अड्डों के पीपीपी मोड पर प्रचालन और रखरखाव हेत कार्रवाई शुरू की है। आरएफपी जारी की जा चुकी है, हितधारक सम्मेलन बैठक और बोली-पूर्व सम्मेलन आयोजित किया जा चुका है। बोली प्रस्तुतीकरण की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जनवरी, 2018 कर दी गई है। नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के उपबंधों में संशोधन करने की कार्रवाई शुरू की है और मंत्रिमंडल टिप्पणी को मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। एएआई अधिनियम को संशोधित करने वाली मंत्रिमंडल टिप्पणी को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिणामखरूप वापिस ले लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय में दायर विशेष अनुमित याचिका को खारिज कर दिया गया है। नागर विमानन मंत्रालय इस मामले में आगे कार्रवाई करने के बारे में विधि कार्य विभाग से परामर्श कर रहा है।

सं. सं. भारतनेट परियोजना के तहत 1,55,000 किलोमीटर 55. 89 लंबे क्षेत्र में आप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है। मैंने भारतनेट परियोजना के लिए आवंटन को बढ़ाकर 2017-18 में ₹10,000 करोड़ कर दिया है। 2017-18 के अंत तक, 1,50,000 से भी अधिक ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पर हाई स्पीड ब्राडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें वाई फाई हॉट स्पॉट्स और निम्न प्रशुल्कों पर डिजिटल सेवाओं तक पहुंच भी शामिल है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से टेली-मेडिसिन, शिक्षा और कौशल विकास के प्रावधान के लिए "डिजीगांव" नामक पहल शुरू की जाएगी। [नोडल मंत्रालय/विभागः दूरसंचार विभाग]

बजट घोषणाओं का पाठ

पैरा

क्रम

दिनांक 17.12.2017 की स्थिति के अनुसार, 2,50,197 कि.मी. लंबी केबल डालते हुए 1,06,585 ग्राम पंचायतों में आप्टीकल फाइबर केबल डाली जा चुकी है।

कार्यान्वयन की प्रास्थिति

56. 90 हमारे ऊर्जा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने कच्चे तेल के सामरिक भंडार स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रथम चरण में, ऐसे तीन तेल भंडारों की सुविधाएं स्थापित की गई हैं। अब दूसरे चरण में, दो और स्थानों नामतः ओडिशा में चंडीखोले और राजस्थान में बीकानेर में कंदराएं स्थापित करने का प्रस्ताव है। इससे हमारी सामरिक तेल भंडार क्षमता 15.33 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगी। [नोडल मंत्रालय/विभागः पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ₹11,035 करोड़ की अनुमानित लागत से चंडीखोले (4 एमएमटी) और पाडुर (2.5 एमएमटी) में सामरिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) सुविधा स्थापित करने के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है। यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया है।

57. 91 सौर ऊर्जा में, अब हमारा प्रस्ताव 20,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता के लिए सौर पार्क विकास के दूसरे चरण को प्रारंभ करने का है।

> [नोडल मंत्रालय/विभागः नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय]

मंत्रिमंडल ने दिनांक 22.02.2017 को अनुमोदन दिया, 21.03.2017 को स्वीकृति और मार्गनिर्देश जारी किए गए। इस स्कीम के चरण-II के अंतर्गत 05 सोलर पार्कों को सिद्धांततः अनुमोदन दिया गया है जिसकी कुल क्षमता 2040 मेगावाट होगी जिसमें राजस्थान (1000 मेगावाट), गुजरात (500 मेगावाट), तमिलनाडु (500 मेगावाट), मिजोरम (20 मेगावाट) और मणिपुर (20 मेगावाट) शामिल हैं।

58. 93 हमें इस प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में अपने निर्यात ढांचे पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। "निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (टाइज)" नामक एक नई और पुनः तैयार की गई केंद्रीय योजना 2017-18 में प्रारंभ की जाएगी।

[नोडल मंत्रालय/विभागः वाणिज्य विभाग]

वाणिज्य मंत्री द्वारा 15 मार्च 2017 को व्यापार अवसंरचना निर्यात स्कीम (टाइज़) शुरू की गई है।

केंद्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों, उनके संयुक्त उपक्रमों अथवा पीपीपी परियोजनाओं के साथ 50:50 के आधार पर भागीदारी की परिकल्पना की गई।

यह स्कीम निर्यात अवसंरचना और सहायता परियोजनाओं अर्थात् सीमा हाट, साझा सुविधा केंद्र, निर्यात प्रमाणन प्रयोगशालाओं, आदि पर ध्यान केंद्रित करेगी।

परियोजनाओं का पहला बैच अनुमोदित किया जा चुका है।

क्रम पैरा बजट घोषणाओं का पाठ कार्यान्वयन की प्रास्थिति सं. सं.

59. 96 VI. वित्तीय क्षेत्र

हमारी सरकार ने पिछले दो वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति में पर्याप्त सुधार किए हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में होने वाले कुल आगम का 90 प्रतिशत से अधिक भाग स्वचालित मार्ग के माध्यम से आता है। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी आवेदनों की ई-फाइलिंग और ऑनलाइन प्रोसेसिंग का कार्य सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। अब हम ऐसी स्थिति में हैं कि विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा सकता है। इसलिए हमने 2017-18 में इसे समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके लिए रोडमैप अगले कुछ महीनों में घोषित किया जाएगा। इस बीच, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को और अधिक उदार बनाने पर विचार किया जा रहा है और यथासमय आवश्यक घोषणाएं की जाएंगी।

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को भंग करने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 24.5.2017 को दिए गए अनुमोदन के अनुसरण में आर्थिक कार्य विभाग द्वारा 05 जून, 2017 को ग्यारह प्रशासनिक मंत्रालयों को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सरकार के अनुमोदन की अपेक्षा वाले एफडीआई प्रस्तावों से संबंधित कार्रवाई के लिए दिशा-निर्देश दिए गए थे।

[नोडल मंत्रालय/विभागः आर्थिक कार्य विभाग]

60. 97 वस्तु बाजारों में किसानों के लाभ के लिए और अधिक सुधार लाने की आवश्यकता है। वस्तुओं के व्यापार के लिए हाजिर बाजार और व्युत्पन्न बाजार को समेकित करने के लिए प्रचालन और विधायी ढांचे पर अध्ययन करने और इसके सृजन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेषज्ञ समित गठित की जाएगी। ई-नाम इस ढांचे का एक अभिन्न अंग होगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः आर्थिक कार्य विभाग]

61. 98 अवैध जमा योजनाओं के संकट को कम करने के लिए मसौदा विधेयक को लोगों की जानकारी में लाया जाएगा और इसे अंतिम रूप दिए जाने के बाद शीघ्र ही लागू किया जाएगा। यहां गरीब और भोले-भाले निवेशकों को बहु राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 के विनियामक दोषों का लाभ उठाने वाली बेइमानी कंपनियों द्वारा प्रचालित अनेक संदिग्ध योजनाओं से बचाने की तत्काल आवश्यकता है। हम "स्वच्छ भारत" के अपने एजेंडे के रूप में विभिन्न हितधारकों के परामर्श से इस अधिनियम में संशोधन करेंगे।

[नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवाएं विभाग]

आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 13 जून, 2017 के का.ज्ञा. एफसं. 8/3/2017-सीडी द्वारा नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद की अध्यक्षता में वस्तु हाजिर और व्युत्पाद बाजारों के एकीकरण संबंधी विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। इस समिति द्वारा अपने गठन के छह माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की संभावना थी। अब इस समिति का कार्यकाल दो माह बढ़ा दिया गया है।

इस हेतु अंतिम मंत्रिमंडल टिप्पणी तैयार की जा चुकी है और मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है।

सं. सं.

62. 99 वित्तीय फर्मों के समाधान से संबंधित विधेयक को संसद के वर्तमान बजट सत्र में पेश किया जाएगा। इससे हमारे वित्तीय तंत्र को स्थिरता और लचीलापन मिलेगा। इससे विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा होगी। शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता के साथ-साथ वित्तीय फर्मों के लिए समाधान तंत्र से हमारे देश में समाधान प्रणाली

की व्यापकता सुनिश्चित होगी।

बजट घोषणाओं का पाठ

पैरा

क्रम

[नोडल मंत्रालय/विभागः आर्थिक कार्य विभाग]

63. 100 मैंने अपने पिछले बजट भाषण में कहा था कि निर्माण संविदाओं, सरकारी निजी भागीदारी और जनोपयोगी सुविधा संबंधी संविदाओं से संबंधित अवसंरचना में विवादों के समाधान के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को कारगर बनाने के लिए विधेयक पेश किया जाएगा। हितधारकों के साथ गहन परामर्श के बाद, हमने निर्णय लिया है कि अपेक्षित तंत्र को विवाचन और समाधान अधिनियम, 1996 के हिस्से के रूप में संस्थापित किया जाएगा। इस संबंध में संशोधन विधेयक लाया जाएगा।

[नोडल मंत्रालय/विभागः विधि कार्य विभाग]

64. 101 हमारे वित्तीय क्षेत्र की सत्यनिष्ठा और स्थिरता को सुरक्षित रखने के लिए साइबर सुरक्षा अति महत्वपूर्ण है। हमारे वित्तीय क्षेत्र के लिए कम्प्यूटर एमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम (सर्ट-फिन) स्थापित की जाएगी। यह निकाय वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामकों और अन्य हितधारकों के सन्निकट समन्वयन में कार्य करेगा।

[नोडल मंत्रालय/विभागः आर्थिक कार्य विभाग]

वर्ष 2016-17 के बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसरण में, वित्तीय फर्मों के समाधान संबंधी संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 15.3.2016 को गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा (एफआरडीआई) विधेयक शीर्षक से मसौदा विधेयक तैयार किया गया है।

कार्यान्वयन की प्रास्थिति

संसद के समक्ष रखने के लिए मंत्रिमंडल ने 14.6.2017 को हुई अपनी बैठक में एफआरडीआई विधेयक अनुमोदित कर दिया। यह विधेयक 10 अगस्त, 2017 को संसद के समक्ष रखा गया और जेपीसी को भेज दिया गया।

जेपीसी द्वारा संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाकर 2018-19 के बजट सत्र के अंतिम दिन तक कर दी गई है।

विधि कार्य विभाग वर्तमान में आर्थिक कार्य विभाग के परामर्श से विवाचन और समाधान अधिनियम, 1996 में संशोधन करने की कार्रवाई कर रहा है।

इलैक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंडियन कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पोंस टीम (आईसीईआरटी) के महानिदेशक की अध्यक्षता में मार्च, 2017 में गठित कार्य समूह जिसमें आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवाएं, इलैक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान (आईडीबीआरटी), रिजर्व बैंक इन्फोर्मेशन टेक्नोलाजी प्राईवेट लिमिटेड (आरईबीआईटी) और वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामकों के प्रतिनिधि शामिल हैं, ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। यह रिपोर्ट जनता की टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए 30 जून, 2017 को विभाग की वेबसाइट पर डाल दी गई है। सर्ट-फिन के कार्यक्षेत्र को अंतिम रूप देने के लिए सचिव (आर्थिक कार्य) की अध्यक्षता में 3/1/2018 को बैठक आयोजित की गई है जिसमें वित्तीय क्षेत्र के विनियामक और केंद्र/राज्य सरकारों की एजेंसियां शामिल थीं। सर्ट-फिन से जुड़ी कार्य रिपोर्ट संबंधी परामर्शी कार्यशाला किया जाना भी प्रस्तावित है।

क्रम पैरा बजट घोषणाओं का पाठ कार्यान्वयन की प्रास्थिति सं. सं.

65. 102 मैंने वित्तीय सेक्टर में अनेक अन्य उपायों का भी प्रस्ताव रखा है, जिन्हें अनुबंध-I में सूचीबद्ध किया गया है।

वित्तीय क्षेत्र में अन्य उपाय

- भागीदारों, ब्रोकरों और प्रचालनात्मक रूपरेखा को एकीकृत करते हुए पण्यों और प्रतिभूति व्युत्पन्न बाजारों को और भी एकीकृत किया जाएगा।
- 2. सेबी द्वारा म्युचुअल फंडों, ब्रोकरों पोर्टफोलियो प्रबंधकों आदि जैसे वित्तीय बाजार के मध्यस्थों के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन बनाई जाएगी। इससे आसानी से कारोबार करने में सुधार होगा।
- 3. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए पंजीकरण, बैंक खाता और डीमैट खाता खोलने तथा पैन कार्ड जारी करने के लिए एक कॉमन आवेदन फार्म बनाया जाएगा। इसके लिए सेबी, आरबीआई और सीबीडीटी संयुक्त रूप से आवश्यक प्रणालियां और कार्यविधियां तैयार करेंगे। इससे प्रचालनात्मक लोचशीलता बढ़ेगी और भारतीय पूंजी बाजार में पहुंच सुगम होगी।
- 4. व्यष्टि डीमैट खातों को आधार के साथ लिंक करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
- 5. फिलहाल बैंकों और बीमा कंपनियों जैसी संस्थाओं को सेबी द्वारा अर्हक संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये संस्थाएं विशेष रूप से निर्धारित आबंटन सहित आईपीओ में भागीदारी के लिए पात्र हैं। अब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित व्यवस्थागत रूप से महत्वपूर्ण और एक कतिपय निवल मूल्य से ऊपर की एनबीएफसी को अर्हक संस्थागत क्रेता के रूप में वर्गीकृत किए जाने का प्रस्ताव है। इससे आईपीओ बाजार सुदृढ़ होगा और अधिक निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा।

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 (एससीआरआर) और सेबी (स्टाक ब्रोकर और सब-ब्रोकर्स) विनियम, 1992 अधिसूचित कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सेबी के 21.09.2017 के परिपत्र द्वारा ब्रोकर स्तर पर एकीकरण कार्यचालित कर दिया गया है।

सेबी बोर्ड ने 29.12.2017 को हुई बोर्ड की बैठक में अक्तूबर, 2018 से आगे एक्सचेंज के स्तर पर प्रतिभूतियों के सभी खण्डों के साथ वस्तु व्युत्पाद बाजार के एकीकरण को अनुमोदित कर दिया है।

सेबी द्वारा मर्चेंट बैंकरों, अंडरराइटर्स, निर्गम के रिजस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटों, डिबेंचर न्यासियों, निर्गम के बैंकर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, निवेश सलाहकार, अनुसंधान विश्लेषकों हेतु ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा चालू कर दी गई है।

बजट घोषणा के अनुसरण में, सेबी ने प्रतिभूतियों और निक्षेपागारों के अभिरक्षकों के साथ परामर्श करके मसौदा सामान्य आवेदन फार्म (सीएएफ) तैयार किया है। इस सामान्य आवेदन फार्म को अंतिम रूप देने के लिए आर्थिक कार्य विभाग राजस्व विभाग से परामर्श कर रहा है।

सेबी ने अप्रैल, 2017 में आधार जोड़ने को बढ़ावा देने के लिए निक्षेपागारों से निक्षेपागार भागीदारों हेतु परिपत्र जारी करने के निर्देश दिए। तत्पश्चात, इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और यूआईडीएआई से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, आर्थिक कार्य विभाग ने सेबी से अनुरोध किया कि वह सभी नए व विद्यमान व्यष्टि आवासी डिमैट खातों के लिए आधार नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य किए जाने के निर्देश जारी करें। यह विषय सेबी की जांचाधीन है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गमन और प्रकटन अपेक्षाएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 दिनांक 31 मई, 2017 को अधिसूचित किया जा चुका है। घोषणा कार्यान्वित कर दी गई है।

क्रम पैरा बजट घोषणाओं का पाठ कार्यान्वयन की प्रास्थिति सं. सं.

6. सारफेसी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण कंपनी अथवा पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा निर्गमित प्रतिभूति प्राप्तियों के सूचीयन और व्यापार की सेबी द्वारा पंजीकृत स्टॉक एक्सचेंजों में अनुमति दी जाएगी। इससे प्रतिभूतिकरण उद्योग में पूंजी प्रवाह में बढ़ोतरी होगी और इससे विशेष रूप से बैंकों को अनर्जक आस्तियों (एनपीए) से निपटने में सहायता मिलेगी।

सेबी बोर्ड ने 28.12.2017 को सेबी (प्रतिभूति ऋण लिखतों की सार्वजनिक पेशकश और सूचीयन) विनियम, 2008 (एसडीआई विनियम) के अंतर्गत पिरसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी की गई प्रतिभूति प्राप्तियों के सूचीयन की रूपरेखा अनुमोदित कर दी है। प्रतिभूति प्राप्तियों के सूचीयन की रूपरेखा वाला एक अलग अध्याय प्रतिभूति ऋण लिखत विनियमों के साथ जोड़ा जाएगा।

[नोडल मंत्रालय/विभागः आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, राजस्व विभाग]

66. 103 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सूचीबद्ध करने से बेहतर सरकारी जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा और यह इन कंपनियों के वास्तविक मूल्य को उजागर करेगा। स्टॉक एक्सचेंजों में चिह्नित केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को समयबद्ध रूप से सूचीबद्ध करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार संशोधित तंत्र और प्रक्रिया लागू करेगी। पिछले बजट में मेरे द्वारा घोषित विनिवेश नीति जारी रहेगी।

[नोडल मंत्रालय/विभागः निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग]

67. 104 आईआरसीटीसी, आईआरएफसी और इरकोन जैसे सरकारी क्षेत्र के रेलवे उद्यमों के हिस्से को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाएगा।

> [नोडल मंत्रालय/विभागः रेल मंत्रालय,निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग]

वर्ष 2017-18 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार सरकार ने सीपीएसई के सूचीयन हेतु निर्देशात्मक समय-सीमाओं सहित तंत्र/ प्रक्रिया लागू कर दी है। प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि सुझाई गई समयसीमाओं का अनुपालन करें और विद्यमान अधिनियमों, कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुसार चिन्हित सीपीएसई का समयबद्ध सूचीयन पूरा करें।

रेल मंत्रालयः

राइट्स और इरकॉन के विनिवेश की मात्रा का प्रस्ताव करने के लिए 05.01.2018 को उच्च स्तरीय समिति की बैठक बुलाई गई है। आईआरएफसी हेतु आस्थगित कर देनदारी का मुद्दा अभी भी कारपोरेट कार्य मंत्रालय के पास लंबित है। आईआरसीटीसी और आरवीएनएल ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रास्पेक्टस तैयार कर रही हैं। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

बुक रनिंग लीड मैनेजर, कानूनी सलाहकार, रजिस्ट्रार और ऑडीटरों जैसे मध्यवर्ती नियुक्त किए जा चुके हैं। बीआरएलएम और सीपीएसई द्वारा सम्यक कार्रवाई की जा रही है।

68. 105 हम, समेकन विलय, और अधिग्रहणों के जिए हमारे केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सुदृढ़ करने का सुअवसर देख रहे हैं। इन विधियों के द्वारा उद्योग की मूल्य श्रृंखला में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को एकीकृत किया जा सकता है। यह उन्हें अपेक्षाकृत अधिक जोखिम बर्दाश्त करने, उच्चतर किफायतें प्राप्त करने, अधिक निवेश के निर्णय लेने और पणधारकों

सीसीईए ने 19 जुलाई, 2017 को हुई बैठक में एचपीसीएल में भारत सरकार की कुल चुकता इक्विटी शेयरधारिता के मौजूदा 51.11 प्रतिशत को ओएनजीसी को रणनीतिक बिक्री करने का 'सिद्धांततः' अनुमोदन कर दिया है। एचपीसीएल के रणनीतिक विनिवेश हेतु प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन समिति गठित कर दी गई है। इस मूल्यांकन समिति की अब तक चार बैठकें आयोजित हो चुकी हैं।

क्रम पैरा सं. सं.

बजट घोषणाओं का पाठ

कार्यान्वयन की प्रास्थिति

के लिए अधिक मूल्य का सृजन करने की क्षमता प्रदान करेगा। तेल और गैस सेक्टर में ऐसी पुनर्संरचना की संभावना दिखाई दे रही है। हम, एकीकृत सरकारी क्षेत्र "ऑयल मेजरं" के सृजन का प्रस्ताव करते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय और घरेलू निजी सेक्टर की तेल और गैस कंपनियों जैसा निष्पादन करने में सक्षम होगा।

[नोडल मंत्रालय/विभागः पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय]

106 हमारे ईटीएफ, जिसमें दस सीपीएसई के शेयर शामिल 69. किए गए हैं, को हालिया और निधि की पेशकश में आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया मिली है। हम शेयरों के और आगे विनिवेश के लिए माध्यम के रूप में ईटीएफ का उपयोग करते रहेंगे। तदनुसार, विविधीकृत सीपीएसई स्टॉकों और अन्य सरकारी धारिता के साथ एक नया ईटीएफ 2017-18 में शुरू किया जाएगा।

वर्ष 2017-18 को बजट में की गई घोषणा के अनुसार, भारत-22 की नयी निधि पेशकश (एनएफओ) नवंबर, 2017 से अभिदान हेत् खोली गई थी। यह एंकर निवेशकों, सेवानिवृत्ति निधियों, खुदरा निवेशकों और अन्य अर्थात् अर्हक संस्थागत क्रेता/उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति (क्यूआईबी/ एचएनआई) जैसे निवेशकों के सभी घटकों में अति-अभिदत्त हो गई थी।

[नोडल मंत्रालय/विभागः निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग]

70. 107 बैंकों के तनावग्रस्त धरोहर खातों के समाधान पर विशेष ध्यान केंद्रित करना जारी रहेगा। शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता के अधिनियमन और सारफेसी तथा ऋण वसूली अधिकरण अधिनियमों में संशोधन करके समाधान सुसाध्य बनाने हेतु कानूनी ढांचे को मजबूत बनाया गया है। "इंद्रधनुष" कार्य योजना की तर्ज पर 2017-18 में बैंकों के पुनर्पूजीकरण के लिए मैंने ₹10,000 करोड़ का प्रावधान किया है। आवश्यकता पड़ने पर इसके लिए अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा।

[नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवाएं विभाग]

108 सारफेसी अधिनियम के तहत किसी प्रतिभूति कंपनी अथवा किसी पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा निर्गमित प्रतिभूति प्राप्तियों की लिस्टिंग और व्यापार की सेबी में पंजीकृत स्टॉक एक्सचेंजों की अनुमति दी जाएगी। इससे प्रतिभूतीकृत उद्योग में पूंजी प्रवाह के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और विशेष रूप से बैंकों की अनर्जक आस्तियों के निपटान में सहायता मिलेगी।

[नोडल मंत्रालय/विभागः आर्थिक कार्य विभाग]

इंद्रधनुष योजना के अंतर्गत 2017-18 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण हेतु बजट अनुमान में ₹10,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। दिनांक 16.01.2018 की स्थिति के अनुसार वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कुल पूंजी अंतर्वेशन ₹9438 करोड़ रहा है। पूंजी अंतर्वेशन की ब्यौरा नीचे दिया गया है:

- आईडीबीआई बैंक ₹4590 करोड़
- (ii) बैंक ऑफ इंडिया ₹2257 करोड़
- (iii) यूको बैंक ₹1375 करोड़
- (iv) बैंक ऑफ महाराष्ट्र ₹650 करोड़
- (v) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ₹323 करोड़
- (vi) देना बैंक ₹243 करोड़।

सेबी बोर्ड ने दिनांक 28.12.2017 को सेबी (सार्वजनिक पेशकश और प्रतिभूति ऋण लिखतों का सूचीयन) विनियम, 2008 (एसडीआई विनियम) के तहत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी की गई प्रतिभूति प्राप्तियों की लिस्टिंग के लिए रूपरेखा का अनुमोदन किया है। एसडीआई विनियमों में एक अलग अध्याय जोड़ा जाएगा, जिसमें एसआर के सूचीयन के लिए रूपरेखा का वर्णन होगा।

क्रम पैरा बजट घोषणाओं का पाठ कार्यान्वयन की प्रास्थिति सं. सं.

72. 109 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का निधिपोषित न किए गए और कम निधिपोषित के निधियन के लिए उल्लेखनीय योगदान रहा। पिछले वर्ष, ₹1.22 लाख करोड़ का लक्ष्य पार हो गया था। 2017-18 के लिए मैं, 2015-16 के ऋण देने के लक्ष्य को दोगुना करके ₹2.44 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव करता हूं। इसमें दलितों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

बैंकों/एमएफआई को वर्ष 2017-18 के लिए ₹2.44 लाख करोड़ के लक्ष्य के संबंध में डीएफएस द्वारा 16.06.2017 को सूचित किया गया है।

[नोडल मंत्रालय/विभागःवित्तीय सेवाएं विभाग]

73. 113 VII. डिजिटल अर्थव्यवस्था

बढ़े हुए डिजिटल लेन-देनो के प्रमाण हैं। भीम एप्प शुरू किया गया है। यह डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के लिए मोबाइल फोनों की शक्ति बढ़ाएगा। अब तक 125 लाख लोगों ने भीम ऐप्प को अपनाया है। भीम के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार दो नई स्कीमें शुरू करेगी; ये हैं व्यष्टियों के लिए रेफरल बोनस स्कीम और व्यापारियों के लिए कैशबैक स्कीम।

[नोडल मंत्रालय/विभागः इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय] भीम ऐप को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने दो प्रोत्साहन स्कीमों नामतः 'व्यक्तियों के लिए रेफरल बोनस स्कीम'और 'व्यापारियों के लिए कैश-बैक स्कीम' का अनुमोदन किया है, जिसका प्रारंभ में 6 महीने की अवधि के लिए कुल ₹495 करोड़ का वित्तीय परिव्यय है।

माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 14 अप्रैल, 2017 को इस स्कीम का शुभारंभ किया गया है।

अधिकाधिक व्यक्तियों और व्यापारियों को इस स्कीम में शामिल करने के लिए 14 अगस्त, 2017 को इस स्कीम का संशोधन किया गया है और 31 मार्च, 2018 तक इसकी अवधि बढ़ाई गई है।

74. 114 आधार भुगतान, आधार समर्थित भुगतान प्रणाली का व्यापारिक संस्करण जल्द ही आरंभ किया जाएगा। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा, जिनके पास डेबिट कार्ड, मोबाइल वैलेट और मोबाइल फोन नहीं हैं। यूपीआई, यूएसएसडी, आधार भुगतान, आईएमपीएस और डेबिट कार्डों के जिए 2017-18 के लिए 2,500 करोड़ डिजिटल लेनदेन के लक्ष्य के साथ एक मिशन की स्थापना की जाएगी। बैंकों ने, मार्च, 2017 तक अतिरिक्त 10 लाख नए पीओएस टर्मिनल शुरू करने का लक्ष्य रखा है। उन्हें, सितम्बर, 2017 तक 20 लाख आधार पर आधारित पीओएस शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

[नोडल मंत्रालय/विभागःइलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय] माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 14 अप्रैल, 2017 को नए नाम 'भीम आधार' के तहत आधार पे प्रारंभ किया गया है।

'भीम आधार' को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रारंभ में 6 महीने की अविध के लिए 395 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाली एक प्रोत्साहन स्कीम प्रारंभ की गई है। इसके अलावा, अधिकाधिक व्यापारियों को इसमें शामिल करने के लिए इस स्कीम को 31 मार्च, 2018 तक बढ़ाया गया है।

'डिजीधन मिशन' नामक एक मिशन प्रारंभ किया गया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च, 2017 तक निर्धारित 10 लाख के लक्ष्य की तुलना में लगभग 14.462 लाख और पीओएस टर्मिनल लगाए गए हैं। (स्रोत: आरबीआई)

उपलब्ध नवीतम आंकड़ों के अनुसार, लगभग 1,58,794 आधार आधारित पीओएस टर्मिनल की शुरूआत हुई है। (स्रोतः डीएफएस)

75. 115 बढ़े हुए डिजिटल लेनदेन, लघु और सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक ऋण सुलभता के लिए समर्थ बनाएगा। उधारकर्ताओं के लेनदेन संबंधी पूर्ववृत्त के आधार पर उन्हें उचित ब्याज दरों पर प्रतिभृति रहित ऋण प्रदान सिडबी एमएसएमई, जिसमें लघु एवं सूक्ष्म उद्यम शामिल हैं, को उधार देने के लिए न्यूनतम ब्याज दर पर बैंकों/एनबीएफसी/ एमएफआई को संसाधन समर्थन दे रहा है। बैंकों/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से प्राप्त ऋण आमतौर पर प्रतिभृत ऋण के रूप में होते हैं और

क्रम पैरा सं. सं. बजट घोषणाओं का पाठ

कार्यान्वयन की प्रास्थिति

करने वाली क्रेडिट संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए सिडबी को सरकार प्रोत्साहित करेगी। [नोडल मंत्रालय/विभागः इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय] एमएफआई द्वारा दिए गए ऋण आमतौर पर अप्रतिभूत ऋण के रूप में होते हैं।

76. 116 डिजिटल भुगतान अवसंरचना और शिकायत निवारण तंत्रों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। डाक घरों, उचित दर की दुकानों और बैंकिंग संपर्कियों के माध्यम से ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पेट्रोल पम्पों, उर्वरक डिपो, नगरपालिकाओं, ब्लॉक कार्यालयों, सड़क परिवहन कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, अस्पतालों और अन्य संस्थाओं में भीम ऐप सहित डिजिटल भुगतान की सुविधाओं को बढ़ावा देने और संभवतः उन्हें अधिदेश देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। एक निर्धारित सीमा से अधिक सभी सरकारी प्राप्तियों से संबंधित कार्रवाई डिजिटल साधनों के जरिए किया जाना अधिदेशित किए जाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

[नोडल मंत्रालय/विभागः इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय] डिजिटल भुगतानों के विभिन्न शिकायती चैनलों का विश्लेषण किया गया है। इन विश्लेषणों के आधार पर, उपभोक्ता मामले मंत्रालय के आईएनजीआरएएम शिकायत निवारण तंत्र को डिजिटल भुगतान के लिए भी उपयोग करने के लिए उस मंत्रालय के साथ कार्य करने का प्रस्ताव किया गया है।

डिजिटल भुगतान एवं लेन-देनों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाईन (एनसीएच) प्लेटफार्म के उपयोग करने से संबंधित तौर-तरीकों के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए और डिजिटल भुगतान से संबंधित शिकायतों के लिए उपभोक्ता मामले विभाग के प्लेटफार्म के उपयोग के लिए भी बैठकें हई।

इस बैठक में हुई चर्चाओं के आधार पर, वित्तीय सेवाएं विभाग से अनुरोध किया गया है कि वे राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाईन (एनसीएच) प्लेटफार्म में समाभिरूपता पार्टनर बनने के लिए सभी बैंकों, पेमेंट बैंकों और पीपीआई सेवा प्रदाताओं को आवश्यक निदेश जारी करें। एनपीसीआई से भी कहा गया है कि वे राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाईन प्लेटफार्म में समाभिरूपता पार्टनर के रूप में स्वयं जुड़ें।

केबिनेट सचिव द्वारा सचिवों की समिति की 6 बैठकें की गई हैं। 20 से अधिक मंत्रालयों/विभागों के साथ डिजिटल लेन-देनों के लिए लक्ष्यों के आबंटन तथा कार्य योजनाओं की समीक्षा के संबंध में समीक्षा बैठकें की गई थीं। कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ अलग-अलग करके 30 समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं।

इलैक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक कार्यशाला आयोजित की और टच पाइंट पर भारत क्यू.आर.कोड सहित डिजिटल भुगतान स्वीकृति अवसंरचना को सुगम बनाने के संबंध में सभी मंत्रालयों/विभागों/राज्यों, डिस्कॉम,50+नगरपालिकाओं को पत्र जारी किया है।

अवसंरचना, नीति, प्रौद्योगिकी से संबंधित चिंताओं के समाधान में विभागों को सहायता दी जा रही है:

सीजीए ने सरकारी राजस्व के संग्रहण के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) तथा भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम) के उपयोग हेतु 10 अगस्त, 2017 की अधिसूचना के तहत दिशा निर्देश जारी किए हैं।

सीजीए से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे सभी सरकारी भुगतान प्राप्ति काउंटरों पर डिजिटल भुगतान स्वीकृति तंत्र के रूप में भारत क्यू.आर. कोड के विन्यास को सक्षम एवं अनिवार्य बनाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करें।

क्रम पैरा बजट घोषणाओं का पाठ कार्यान्वयन की प्रास्थिति सं. सं.

77. 117 इन पहलों को आगे बढ़ाने के लिए संसाधन बढ़ाने हेतु सरकार वित्तीय समावेशन निधि को सुदृढ़ करेगी।

> [नोडल मंत्रालय/विभागः इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय]

इलैक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी: तीन भीम स्कीमों अर्थात् 'व्यक्तियों के लिए भीम रेफरल बोनस स्कीम', 'व्यापारियों के लिए भीम कैशबैक स्कीम 'तथा 'भीम आधार व्यापारी प्रोत्साहन स्कीम' के लिए वित्तीय समावेशन निधि की वृद्धि के लिए अपेक्षित बजट पहले ही मांगा गया है।

वित्तीय सेवाएं विभाग ने वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान संख्या 31-डीएफएस के संबंध में पूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच के जिरये नाबार्ड की वित्तीय समावेशन निधि में अंशदान के लिए ₹439.202 करोड़ के बजट परिव्यय का प्रस्ताव किया है। यह प्रावधान वित्तीय समावेशन निधि को सुदृढ़ बनाएगा।

78. 118 डिजिटल लेनदेन संबंधी मुख्य मंत्रियों की समिति की अंतरिम सिफारिशों को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए सरकार विभिन्न पणधारकों के साथ विचार और काम करेगी।

> [नोडल मंत्रालय/विभागः इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय]

मुख्यमंत्रियों की समिति ने 20 मंत्रालयों एवं विभागों से संबंधित 96 सिफारिशें की हैं। इलैक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों एवं विभागों को उन सिफारिशों पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई सूचित करने के लिए पत्र लिखे हैं। सचिव, इलैक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मुख्यमंत्रियों की समिति की सिफारिशों पर हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए अनुवर्ती बैठक आयोजित की थी। इलैक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कार्रवाई बिंदुओं से संबंधित अद्यतन स्थिति के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए मंत्रालयों और विभागों के साथ समन्वय कार्य कर रहा है। यह मंत्रालय मुख्यमंत्रियों की समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की सहायता कर रहा है।

79. 119 आर्थिक कार्य विभाग द्वारा गठित डिजिटल भुगतान संबंधी समिति भुगतान और निपटान पद्धित अधिनियम, 2007 में संशोधन करने सहित भुगतान ईको प्रणाली में संरचनात्मक सुधारों की व्यापक समीक्षा करेगी और इसमें समुचित संशोधन करेगी। सरकार इस अधिनियम की व्यापक समीक्षा करेगी और उपयुक्त संशोधन करेगी। आरंभिक तौर पर, भुगतान तथा निपटान पद्धित के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए मौजूदा बोर्ड को प्रतिस्थापित करके भारतीय रिजर्व बैंक में भुगतान विनियामक बोर्ड का गठन करने का प्रस्ताव है। इसके लिए वित्त विधेयक, 2017 में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव है।

[नोडल मंत्रालय/विभागः आर्थिक कार्य विभाग]

आर्थिक कार्य विभाग ने मार्च, 2017 में अधिकारियों के एक समूह का गठन किया जो पीएसएस अधिनियम, 2007 की समीक्षा करेगा और उपयुक्त संशोधनों का सुझाव देगा। तदनुसार, अधिकारी समूह ने अपनी सिफारिशें और मसौदा विधेयक प्रस्तुत कर दिया है। तदनन्तर, 03 अक्तूबर, 2017 को उच्च स्तरीय अंतःमंत्रालयी समिति का गठन किया गया और समिति के सदस्यों में मसौदा विधेयक परिचालित किया गया।

भुगतान एवं निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 के संशोधन के लिए मसौदा विधेयक को अंतिम रूप देने के लिए अंतर मंत्रालयी समिति की बैठक 11 जनवरी, 2018 को आयोजित की गई।

30. 120 जैसे-जैसे हम डिजिटल लेनदेन और चैक भुगतान के पथ पर तेजी से बढ़ रहे हैं, हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि नकारे गए चैक को भुगतान प्राप्तकर्ता भुगतान लेने में समर्थ हो सकें। इसलिए सरकार परक्राम्य लिखत अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने के विकल्प पर विचार कर रही है।

[नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवाएं विभाग]

परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2017 दिनांक 02.01.2018 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया है।

क्रम पैरा बजट घोषणाओं का पाठ कार्यान्वयन की प्रास्थिति सं. सं.

81. 124 VIII. सार्वजनिक सेवा

देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले हमारे नागरिकों को पासपोर्ट बनवाने और इससे संबंधित शिकायतों का समाधान कराने में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है। हमने मुख्य डाकघरों को, पासपोर्ट सेवाएं देने के लिए फ्रन्ट कार्यालयों के रूप में उपयोग करने का विनिश्चय किया है। [नोडल मंत्रालय/विभागः डाक विभाग, विदेश मंत्रालय] 15.01.2018 तक 59 स्थानों पर डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों का उदघाटन किया गया है।

82. 125 हमारे रक्षा बल देश को बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार के खतरे से सुरक्षित रखते हैं। अब एक केंद्रीकृत रक्षा यात्रा प्रणाली विकसित की गई है, जिसके जिए हमारे सैनिक और अधिकारी अपनी यात्रा टिकटें ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। उन्हें रेलवे वारंट के साथ कतारों में खड़े होने की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

[नोडल मंत्रालय/विभागः रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय]

डिफेंस ट्रैवल सिस्टम प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से डिफेंस यूनिटें ऑनलाइन टिकट बुक कर सकती है। इस परियोजना को रेलवे द्वारा कार्यान्वित किया गया है। रेल और हवाई यात्रा मॉड्यूल दोनों तैयार किए गए हैं। 28 दिसम्बर, 2017 की स्थिति के अनुसार, इस तंत्र में मौजूदा 10675 यूनिटों में से 5759 रक्षा यूनिटें शामिल की गई हैं। आज तक इस तंत्र में कुल 12,19,969 लाभानुभोगियों को नामांकित किया गया है। औसतन इस तंत्र के जिरए 5.1 लाख रेल टिकटें बुक की जा रही हैं जिनमें औसत व्यय ₹70 करोड़ प्रति माह होता है। यह तंत्र नए आईटी परिवर्तनों, नई जरूरतों और जानकारी के आधार पर निरंतर अपग्रेड किया जाता है।

83. 126 रक्षा पेंशनरों के लिए वेब आधारित पारस्परिक पेंशन संवितरण प्रणाली स्थापित की जाएगी। इस प्रणाली से पेंशन संबंधी प्रस्ताव प्राप्त किए जाएंगे और केंद्रीकृत रूप से भुगतान किया जाएगा। इससे रक्षा पेंशनरों की शिकायतें कम होंगी।

[नोडल मंत्रालय/विभागः रक्षा मंत्रालय]

रक्षा मंत्रालय ने दिनांक 09 जून, 2017 के पत्र के तहत इस परियोजना का अनुमोदन किया है। सीपीपी परियोजना के लिए आरएफपी को दिनांक 16 जून,2017 को तैयार किया गया है। सीपीपी परियोजना के लिए आरएफपी के संबंध में बोलीदाताओं की अपर्याप्त प्रतिक्रिया के कारण 22 सितंबर,2017 को संशोधित आरएफपी—II प्रकाशित किया गया था। दो बोलियां प्राप्त हुई और दोनों बोलीकर्ताओं की तकनीकी बोलियों को 11 दिसंबर, 2017 को खोला गया। 21 दिसंबर, 2017 को बोलीकर्ताओं से प्रस्तावों के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतियां प्राप्त हुई। इस संबंध में तकनीकी मूल्यांकन प्रगति पर है।

84. 127 इस समय हमारे नागरिकों, विशेष रूप से निर्धन और अभावग्रस्त वर्ग, को सरकारी भर्ती की बोझिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसमें एजेंसियों और परीक्षाओं की बहुलता है। हम एकल पंजीकरण प्रणाली और परीक्षा की द्विस्तरीय प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव करते हैं।

[नोडल मंत्रालय/विभागः कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग]

सरकार स्नातक, 12वीं पास और 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए समूह ख, अराजपत्रित तथा अन्य पदों के संबंध में अलग से अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए कम्प्यूटर आधारित मोड के माध्यम से साझा पात्रता परीक्षा (सीईटी) प्रारंभ करने का प्रस्ताव करती है। इसके लिए नेशनल करिअर सर्विस (एनसीएस) पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थियों का कॉमन पंजीकरण होगा। अब एनसीएस और एसएससी के पोर्टल को एकीकृत किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीईटी आयोजित करने का प्रस्ताव है। एसएससी से परामर्श करके इस परीक्षा के आयोजन संबंधी तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए एसएससी को बजटीय सहायता देने के लिए ईएफसी नोट विचाराधीन है।

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति

85. 128 पिछले कुछ वर्षों से, अधिकरणों की संख्या कई गुणा बढ़ जाने से कार्यों की अतिव्याप्ति हो गई है। हम इन अधिकरणों की संख्या को युक्तिसंगत बनाने और जहां-कहीं उचित हो, इन अधिकरणों का विलय करने का प्रस्ताव करते हैं।

> [नोडल मंत्रालय/विभागः(i) विधि एवं न्याय मंत्रालय(ii) राजस्व विभाग(iii) कारपोरेट कार्य मंत्रालय(iv) वित्तीय सेवाएं विभाग(v) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग]

वित्तीय सेवाएं विभागः

दिनांक 01.12.2016 से एएआईएफआर तथा बीआईएफआर को समाप्त किया गया है।

तथापि, ऋण वसूली अधिकरणों के संबंध में यह पाया गया है कि डीआरएटी और डीआरटी में पर्याप्त संख्या में मामले होने के कारण डीआरएटी अथवा डीआरटी के विलय/समापन की कोई गुंजाइश नहीं है।

राजस्व विभाग

अग्रिम विनिर्णय (आयकर) प्राधिकरण तथा अग्रिम विनिर्णय (केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर) प्राधिकरण का वित्त अधिनियम, 2017 के तहत विलय किया गया है। अध्याय XIX-ख में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।

तीन अधिकरणों नामतः एनडीपीएसए के अधीन ज़ब्त संपत्ति अपीलीय अधिकरण, एसएएफईएमए के अधीन संपत्ति की ज़ब्ती हेतु अपीलीय अधिकरण तथा धनशोधन निवारण अधिनियम के अधीन अपीलीय अधिकरण को वित्त अधिनियम, 2016 के तहत एक अधिकरण अर्थात एसएएफईएमए के अधीन अपीलीय अधिकरण में विलय किया गया है।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

सीओएमपीएटी (काम्पैट) अस्तित्व में नहीं है और एनसीएलएटी 26.05.2016 से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत अपीलीय प्राधिकरण बन गया।

विधि एवं न्याय मंत्रालय

15 अधिकरणों, अपीलीय अधिकरणों तथा अन्य प्राधिकरणों को 7 में विलय/ परस्पर जोड़ने तथा 7 विलयित अधिकरणों सहित 19 अधिकरणों, अपीलीय अधिकरणों तथा अन्य प्राधिकरणों के अध्यक्ष तथा सदस्यों की एकसमान सेवा शर्तों के प्रावधान के प्रस्ताव को आधिकारिक संशोधन के द्वारा वित्त विधेयक, 2017 में शामिल किया गया है। वित्त विधेयक, 2017 संसद द्वारा पारित किया गया है तथा यह एक अधिनियम बन गया है। वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय VI का भाग XIV (अधिकरणों एवं अन्य प्राधिकरणों के विलय तथा अध्यक्षों, सदस्यों की सेवा शर्तें आदि के प्रावधान हेत् कुछ अधिनियमों में संशोधन) दिनांक 26.05.2017 की अधिसूचना का.आ. 1696 (अ.) के तहत दिनांक 26.05.2017 से लागू हो गई है। वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 के तहत बनाई गई अधिकरण, अपीलीय अधिकरण तथा अन्य प्राधिकरण (सदस्यों की योग्यता, अनुभव तथा अन्य सेवा शर्ते) नियमावली,2017 दिनांक 01 जून, 2017 के सा.का.नि. 514 (अ.) के तहत अधिसूचित की गई हैं और उसी तारीख से ये लागू हो गई।

129 पिछले कुछ समय में आर्थिक अपराधियों सहित, ऐसे कुछ बड़े अपराधियों, के मामले सामने आए हैं, जिनमें 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2017' शीर्षक से मसौदा मंत्रिमंडल टिप्पणी विधि और न्याय मंत्रालय के परामर्श से तैयार की गई है।

क्रम पैरा सं. सं. बजट घोषणाओं का पाठ

कार्यान्वयन की प्रास्थिति

कानून की पकड़ से बचने के लिए कुछ लोग देश से पलायन कर गए हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि कानून को अपना काम करने दिया जाए। अतः सरकार ऐसे व्यक्तियों की देश के भीतर स्थित संपत्तियों को तब तक जब्त करने के लिए विधायी परिवर्तन, या कोई नया कानून लाने पर भी विचार कर रही है जब तक वे समुचित विधिक मंच के क्षेत्राधिकार में उपस्थित न हो जाए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे मामलों में सभी आवश्यक सांविधानिक सुरक्षा उपायों का अनुसरण किया जाएगा।

[नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]

130 हमारी सरकार, सरकारी सेवा के मानकों में सुधार 87. लाने और पारदर्शी शासन के लिए प्रतिबद्धता बनाए रखेगी। जनता की सेवा करना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आजीवन प्रतिबद्धता थी। हम महात्मा के जन्म की 150वीं वर्षगांठ की ओर बढ़ रहे हैं, हम इस समारोह को यथोचित ढंग से मनाने हेत् हरसंभव कदम उठाएंगे। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का प्रस्ताव है। हम इस वर्ष चम्पारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष को रमरण उत्सव के रूप में मनाएंगे। भारत सरकार 2017 में साबरमती आश्रम की उपयुक्त तरीके से 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए गुजरात सरकार की सहायता करेगी। 200 वर्ष पूर्व 1817 में ओडिशा के खुर्दा में बक्शी जगबंधु के नेतृत्व में सैनिकों ने पराक्रमी विद्रोह किया था। हम इसका भी उपयुक्त ढंग से रमरण उत्सव मनाएंगे।

[नोडल मंत्रालय/विभागः संस्कृति मंत्रालय]

महात्मा गांधी की 150वीं जयंतीः इस रमरणोत्सव के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति (एनआईसी) गठित कर ली गई है।

चंपारण सत्याग्रह का 100वां वर्षः एनआईसी गठित कर ली गई है और ₹20 करोड़ की राशि आबंटित की गई है। इस संबंध में प्राप्त प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए एनआईसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

साबरमती आश्रम के 100 वर्षः उद्घाटन समारोह साबरमती आश्रम में आयोजित किया गया। गुजरात सरकार से वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव प्रतीक्षित है।

बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में जांबाजों के विद्रोह के 200 वर्षः एनआईसी गठित की गई है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए दो एनजीओ से प्राप्त प्रस्ताव वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित किए गए हैं। स्मारक स्टाम्प एवं सिक्का जारी करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

88. 135 IX. विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन

एफआरबीएम समीक्षा समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट दे दी है। समिति ने विस्तृत कवायद की है और यह सिफारिश की है कि एक धारणीय ऋण पथ हमारी राजकोषीय नीति का मुख्य वृहत-आर्थिक एंकर होना चाहिए। समिति ने 2023 तक सामान्य सरकार के लिए 60 प्रतिशत के ऋण-सकल घरेलू उत्पाद का समर्थन किया है, जिसमें केंद्रीय सरकार के लिए 40 प्रतिशत और राज्य सरकारों के लिए 20 प्रतिशत का अंश शामिल है। समिति ने इस रूपरेखा के भीतर आगामी 3 वर्षों के लिए 3 प्रतिशत राजकोषीय घाटे को लिया है और

एफआरबीएम समीक्षा समिति की रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

क्रम पैरा बजट घोषणाओं का पाठ कार्यान्वयन की प्रास्थिति सं. सं.

> अनुशंसा की है। समिति ने निर्धारित राजकोषीय घाटा लक्ष्य से स.घ.उ. के 0.5 प्रतिशत तक विचलन के लिए "एस्केप क्लाजंज़" की व्यवस्था भी की है। इन एस्केप क्लाजों का आश्रय लेने के लिए कार्रवाई के रूप में समिति ने "अप्रत्याशित राजकोषीय निहितार्थों" के साथ अर्थव्यवस्था में "दूरगामी संरचनात्मक सुधारों" को एक कारक के रूप में शामिल किया है। वर्तमान में इस एस्केप क्लाज का आह्वान करने का यह एक सुदृढ़ मामला है, फिर भी मैं ऐसा करने से बच रहा हूं। समिति की रिपोर्ट की ध्यानपूर्वक जांच की जाएगी और यथासमय समुचित निर्णय लिए जाएंगे।

[नोडल मंत्रालय/विभागः आर्थिक कार्य विभाग]

146 विगत वर्ष , अपने बजट प्रस्तावों में, मैंने सस्ती 89. आवास योजना के प्रवर्तकों हेत् लाभ-संबद्ध आयकर छूट की एक योजना की घोषणा की थी। इस योजना की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। तथापि, इस योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए, मेरा इस योजना में कतिपय परिवर्तनों का प्रस्ताव है। सर्वप्रथम, 30 और 60 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र के बजाय. 30 और 60 वर्ग मीटर फर्श क्षेत्र की गणना की जाएगी। 30 वर्ग मीटर की सीमा भी केवल 4 मेट्रो शहरों की नगरपालिका सीमाओं के मामले में लागू होगी जबकि मेट्रो के बाह्य परिधीय क्षेत्रों सहित देश के शेष भागों के लिए 60 वर्ग मीटर की सीमा ही लागु होगी। पात्र बनने के उद्देश्य से यह योजना इसके प्रारम्भ के पश्चात 3 वर्षों में पूरी की जानी थी। मेरा इस अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष करने का प्रस्ताव

[नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]

90. 147 वर्तमान में, पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात कब्जा न लिए गए मकान नोशनल किराया आय पर कर के अध्यधीन हैं। जिन बिल्डरों के लिए निर्मित मकान व्यवसाय में लगी पूंजी है, मेरा उनके लिए यह नियम पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त होने वाले वर्ष के समाप्त होने के एक वर्ष बाद ही लागू करने का प्रस्ताव है ताकि उन्हें अपनी इन्वेंटरी के परिनिर्धारण हेत् कुछ समय मिल सके।

[नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]

वित्त अधिनियम, 2017 को पारित किए जाने पर कार्यान्वित।

वित्त अधिनियम, 2017 को पारित किए जाने पर कार्यान्वित।

क्रम पैरा बजट घोषणाओं का पाठ कार्यान्वयन की प्रास्थिति सं. सं. 91. 148 हम, भूमि और इमारत के संबंध में पुंजीगत लाभ वित्त अधिनियम, 2017 को पारित किए जाने पर कार्यान्वित।

91. 148 हम, भूमि और इमारत के संबंध में पूंजीगत लाभ कराधान उपबंधों में अनेक परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव करते हैं। अचल संपत्ति से लाभ पर विचार करने हेतु धारण अविध इस समय दीर्घाविधक 3 वर्ष है। इसे घटाकर 2 वर्ष किए जाने का प्रस्ताव है। अचल संपत्ति सिहत आस्तियों की सभी श्रेणियों के लिए सूचीकरण के लिए आधार वर्ष भी 1.4.1981 से बदलकर 1.4.2001 किए जाने का प्रस्ताव है। इस कदम से पूंजीगत लाभ कर देयता काफी घटेगी जबिक आस्तियों की गतिशीलता को प्रोत्साहन मिलेगा। हमारी यह भी योजना है कि वित्तीय लिखतों के उस समूह का विस्तार किया जाए जिसमें कर की अदायगी किए बिना पूंजीगत लाभों का निवेश किया जा सके।

[नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]

92. 149 संपत्ति के विकास हेतु हस्ताक्षरित संयुक्त विकास करार के लिए, प्रतिफल प्राप्त होने वाले वर्ष में पूंजीगत लाभ कर अदा करने की बाध्यता उत्पन्न हो जाएगी।

[नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]

93. 150 आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी भूमि अधिग्रहण अधिनियम का प्रयोग किए बगैर नई भूमि पूलिंग व्यवस्था द्वारा बसाई जा रही है। मैं 2.6.2014 को, जिस दिन आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया था, भूमि के धारक व्यक्तियों और जिनकी भूमि सरकारी योजना के अंतर्गत राजधानी शहर बसाने के लिए ली जा रही है, उनके लिए पूंजी लाभ कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।
[नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]

4. 151 विकास की गति को प्रेरित करने वाले उपायविदेशी वाणिज्यिक उधारों अथवा बांडों और सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी कंपनियों द्वारा उपार्जित ब्याज पर 5 प्रतिशत रियायती विद-होल्डिंग दर प्रभारित की जा रही है। यह रियायत 30.6.2017 तक उपलब्ध है। मैं, इसे, 30.6.2020 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। यह लाभ रुपया मूल्यवर्गित (मसाला) बांडों को भी दिया जाता है।

[नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग, आर्थिक कार्य विभाग]

वित्त अधिनियम, 2017 को पारित किए जाने पर कार्यान्वित।

वित्त अधिनियम, 2017 को पारित किए जाने पर कार्यान्वित।

वित्त अधिनियम, 2017 को पारित किए जाने पर कार्यान्वित।

कार्यान्वयन की प्रास्थिति पैरा बजट घोषणाओं का पाठ क्रम सं. सं.

152 सरकार ने पिछले साल कुछ शर्तों के साथ स्टार्ट-अप 95. को आयकर रियायतें दी थी। ऐसे स्टार्ट-अप के संबंध में अगले लाभ से हानिपूर्ति के प्रयोजनार्थ मताधिकार के 51 प्रतिशत की निरंतर शेयर धारिता की शर्त को इस बात के अध्यधीन शिथिल किया गया है कि मूल प्रोमोटर/प्रोमोटर्स की शेयर धारिता जारी रहे। इसके अतिरिक्त, स्टार्ट-अप को 5 वर्ष में से 3 वर्ष के लिए उपलब्ध लाभ संबद्ध कटौती रियायत को बदलकर 7 वर्ष में से 3 वर्ष किया जा रहा है।

वित्त अधिनियम, 2017 को पारित किए जाने पर कार्यान्वित।

[नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]

153 वर्तमान में न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) अग्रिम कर वित्त अधिनियम, 2017 को पारित किए जाने पर कार्यान्वित। 96. के रूप में लगाया जाता है। मैट समाप्त करने की प्रजोर मांग है। यद्यपि, रियायतें चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने की योजना 1.4.2017 से शुरू होगी और चरणबद्ध समाप्ति से राजस्व का पूरा लाभ सरकार को 7 से 10 वर्ष बाद में ही मिलेगा, जब वे सभी जो पहले ही इन रियायतों से लाभ ले रहे हैं, अपने लाभ लेने की अवधि पूरी कर लेंगे। इसलिए, वर्तमान में मैट समाप्त करना या कम करना व्यावहारिक नहीं है। तथापि. आगामी वर्षों में मैट क्रेडिट का प्रयोग करने के लिए कंपनियों को छूट देने के लिए मैं, मैट को वर्तमान में 10 वर्ष की बजाय 15 वर्ष की अवधि तक और चलाने का प्रस्ताव करता हं। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]

156 एमएसएमई कंपनियों को और व्यवहार्य बनाने के 97. लिए और फर्मों को भी कंपनी में बदलने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मैं, ₹50 करोड़ तक का वार्षिक कारोबार करने वाली छोटी कंपनियों का आयकर घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। निर्धारण वर्ष 2015-16 के डाटा के अनुसार 6.94 लाख कंपनियां विवरणियां दायर कर रही हैं, जिनमें से 6.67 लाख कंपनियां इस श्रेणी में आती हैं और इसलिए प्रतिशत-वार 96 प्रतिशत कंपनियां निम्न कराधान का लाभ उठाएंगी। यह हमारे एमएसएमई क्षेत्र को बड़ी कंपनियों की तुलना में और अधिक प्रतिस्पर्धी बना देगा। इस उपाय से परित्यक्त राजस्व का अनुमान ₹7,200 करोड़ प्रति वर्ष होने की आशा है।

[नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]

वित्त अधिनियम, 2017 को पारित किए जाने पर कार्यान्वित।

कार्यान्वयन की प्रास्थिति पैरा बजट घोषणाओं का पाठ क्रम सं. सं. 157 बैंकिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनर्जक परिसंपत्तियों वित्त अधिनियम, 2017 को पारित किए जाने पर कार्यान्वित। 98. हेतु अनुज्ञेय प्रावधान 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। यह बैंकों की कर देनदारी कम कर देगा। मैं सभी गैर-अनुसूचित सहकारी बैंकों के एनपीए खातों के संबंध में प्रोद्भवन आधार की बजाय वास्तविक प्राप्ति पर प्राप्त ब्याज पर अनुसूचित बैंकों के समान ही कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। यह कर अदा करने, चाहे ब्याज आय वसूल न की गई हो, का कष्ट समाप्त कर देगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग] 158 एलएनजी के ईंधन के साथ-साथ पेट्रो-रसायन सेक्टर दिनांक 02.02.2017 की अधिसूचना सं. 6/2017-सीमा शुल्क के 99. के लिए फीड स्टाक के प्रयोग की व्यापक श्रृंखला जरिए कार्यान्वित। पर विचार करते हुए में एलएनजी पर बुनियादी सीमाशुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग] 100. 160 डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना छोटे और मध्यम कर दाताओं, जिनकी कुल बिक्री ₹2 वित्त अधिनियम, 2017 को पारित किए जाने पर कार्यान्वित। करोड़ तक है, के लिए अनुमानित आयकर योजना लागू की गई है। वर्तमान में उनकी कुल बिक्री के 8 प्रतिशत को अनुमानित आय माना जाता है। मैं बिक्री, जो नकदी-भिन्न साधनों से की जाती है, के संबंध में इसे 6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। यह लाभ चालू वर्ष में किए गए लेनदेनों पर भी लागू होगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग] 101. 161 में कटौती, राजस्व के साथ-साथ पूंजी व्यय, के रूप वित्त अधिनियम, 2017 को पारित किए जाने पर कार्यान्वित। में अनुज्ञेय नकदी व्यय की सीमा ₹10,000 करने का प्रस्ताव करता हूं। इसी तरह नकद दान की सीमा, जो किसी धर्मार्थ न्यास द्वारा प्राप्त की जा सकती है, ₹10,000 से घटाकर ₹2,000 की जा रही है। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]

102. 162 सरकार द्वारा काले धन के लिए गठित की गई विशेष जांच दल (एसआईटी) ने सुझाव दिया है कि ₹3 लाख से अधिक का कोई भी लेनदेन नकदी में करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सरकार ने यह प्रस्ताव

कार्यान्वित लेकिन आधिकारिक संशोधन, 2017 के जरिए सीमा को घटा कर ₹2 लाख किया गया।

क्रम पैरा बजट घोषणाओं का पाठ कार्यान्वयन की प्रास्थिति सं. सं.

स्वीकार करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय को लागू करने के लिए वित्त विधेयक में आयकर अधिनियम में समुचित संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

[नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]

103. 163 मैं, कैशलेस लेनदेनों को बढ़ावा देने के लिए एम-पीओएस हेतु मिनिएचर्ड पीओएस कार्ड रीडर, माइक्रो एटीएम स्टैंडर्ड्स वर्सन 1.5.1, फिंगर प्रिंट रीडर्स/ स्कैनर्स और आयरिश स्कैनर्स पर बीसीडी, उत्पाद शुल्क/सीवी शुल्क और एसएडी से छूट का प्रस्ताव करता हूं। इसके साथ ही, मैं ऐसे साधनों के विनिर्माण हेतु कलपुर्जों पर छूट का भी प्रस्ताव करता हूं ताकि इन साधनों के देश में विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके।

[नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]

- 104. 165 इसलिए, भारत में राजनीतिक वित्तपोषण प्रणाली दुरूरत करने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। दाताओं ने भी चैक या अन्य पारदर्शी पद्धतियों द्वारा चंदा देने में अरूचि दिखाई है क्योंकि इससे उनकी पहचान उजागर होती है तथा इसके प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। इसलिए, मैं राजनीतिक पार्टियों की वित्तपोषण प्रणाली दुरूरत करने के प्रयास के रूप में निम्नलिखित योजनाओं का प्रस्ताव रखता हूं:
 - (क) निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए सुझाव के अनुपालन में, एक राजनीतिक पार्टी एक व्यक्ति से नकद चंदे के रूप में अधिकतम ₹2000/- की राशि प्राप्त कर सकती है।
 - (ख) राजनीतिक पार्टियां अपने दाताओं से चैक या डिजिटल माध्यम से चंदा प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।
 - (ग) अतिरिक्त उपाय के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है, जिससे कि भारत सरकार द्वारा इस संबंध में बनाई जाने वाली किसी योजना के अनुसार चुनावी बांड जारी किए जा सकें। इस योजना के अंतर्गत, दाता केवल चैक और डिजिटल भुगतानों के तहत प्राधिकृत बैंकों से बांड खरीद सकता है। ये बांड पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट और पंजीकृत खाते में ही परिशोध्य होंगे। इन बांडों को बांड जारी करने से निर्धारित समय सीमा के भीतर ही परिशोध्य कराया जाएगा।

निम्नलिखित अधिसूचनाओं के जरिए कार्यान्वितः

- सं. ४/२०१७-सीमा शुल्क दिनांक २.२.२०१७
- सं. 6/2017-सीमा शुल्क दिनांक 2.2.2017
- सं. 6/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 2.2.2017

(क) वित्त अधिनियम, 2017 को पारित किए जाने पर कार्यान्वित।

(ग) संबंधित संशोधन आयकर अधिनियम, 1961 में पहले ही कर दिया गया है। इलेक्ट्रोरल बांड स्कीम 02.01.2018 अधिसूचित कर दी गई है।

क्रम पैरा सं. सं. बजट घोषणाओं का पाठ

कार्यान्वयन की प्रास्थिति

(घ) प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को आय कर अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी विवरणी प्रस्तुत करनी होगी।कहने की आवश्यकता नहीं है कि राजनीतिक पार्टियों को आय कर के भुगतान से मौजूदा छूट केवल इन शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन ही मिलेगी। इस सुधार से भविष्य में काले धन के सृजन को रोकते हुए राजनीतिक वित्तपोषण में और अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी। (घ) वित्त अधिनियम, 2017 के पारित हो जाने से संबंधित संशोधन कर दिया गया है।

[नोडल मंत्रालय/विभागः (क) राजस्व विभाग (ख)आर्थिक कार्य विभाग]

105. 166 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

कर वंचन रोधी उपाय के रूप में 2012 के वित्त अधिनियम में संबंधित उद्यमियों के संबंध में घरेलू अंतरण मूल्य निर्धारण के प्रावधान का उल्लेख किया गया था। तब से घरेलू मूल्य निर्धारण के अंतर्गत कवर किए गए उद्यमियों की संख्या में उल्लेखनीय ढंग से बढ़ोतरी हुई है, जिससे लंबी जांच पड़ताल की आवश्यकता हुई, जिससे घरेलू कंपनियों को कठिनाई हुई। घरेलू अंतरण मूल्य निर्धारण उपबंधों के कारण अनुपालन को कम करने के उद्देश्य से घरेलू अंतरण कीमत निर्धारण के कार्यक्षेत्र को सीमित करने का प्रस्ताव करता हूं कि पार्टी लेनदेन से संबंधित उद्यमियों में से केवल एक उद्यमी ही विनिर्दिष्ट लाभ संबंधी कटौती प्राप्त कर सकता है।

कर वंचन रोधी उपाय के रूप में 2012 के वित्त वित्त अधिनियम, 2017 के पारित हो जाने से संबंधित संशोधन कर अधिनियम में संबंधित उद्यमियों के संबंध में घरेल दिया गया है।

[नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]

106. 167 मैं उन व्यावसायिक उद्यमियों की लेखा परीक्षा के लिए प्रारंभिक सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर ₹2 करोड़ तक करने का प्रस्ताव करता हूं, जो अनुमानित आय योजना का विकल्प चुनते हैं। इसी प्रकार, व्यष्टियों और हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए बहियों के रखरखाव की प्रारंभिक सीमा रु. 10 लाख टर्नओवर से बढ़ाकर ₹25 लाख अथवा आय को ₹1.2 लाख से बढ़ाकर ₹2.5 लाख किया जा रहा है।

[नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]

वित्त अधिनियम, 2017 के पारित हो जाने से संबंधित संशोधन कर दिया गया है।

कार्यान्वयन की प्रास्थिति पैरा बजट घोषणाओं का पाठ क्रम सं. सं. 107. 169 इस कठिनाई को समाप्त करने के उद्देश्य से, मैं श्रेणी भारत से बाहर शेयरों अथवा ब्याज के मोचन के संबंध में राजस्व । एवं ।। के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक को अप्रत्यक्ष विभाग द्वारा परिपत्र संख्या 28/2017 दिनांक 7/11/2017 जारी अंतरण उपबंध से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता किया गया।

> हूं। हमारा यह स्पष्टीकरण जारी करने का भी प्रस्ताव है कि भारत में कर-प्रभार्य निवेश के शोधन या बिक्री के परिणामस्वरूप या इससे उत्पन्न परंतु भारत से बाहर शेयरों के शोधन या ब्याजों के मामले में अप्रत्यक्ष अंतरण प्रावधान लागू नहीं होंगे।

[नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]

वित्त अधिनियम, 2017 के पारित हो जाने से संबंधित संशोधन कर दिया गया है।

170 आज तक, व्यष्टि बीमा एजेंटों को देय कमीशन में 5 108. प्रतिशत टीडीएस की कटौती की जा रही है, चाहे उनमें से कुछ की आय ही कर योग्य सीमा से कम ही हो। हम उन्हें टीडीएस की आवश्यकता से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करते हैं, उन्हें इस शर्त के अध्यधीन स्वघोषणा करनी होगी कि उनकी आय कर योग्य सीमा से कम है। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]

171 पिछले वर्ष मैंने ₹50 लाख प्रति वर्ष की आय वाले 109. व्यावसायियों के लिए अनुमानित कराधान की नई योजना की घोषणा की थी। ऐसे निर्धारण के संबंध में, अग्रिम कर के भुगतान के संबंध में उन्हें चार किस्तों के स्थान पर एक किस्त में भुगतान करने का लाभ दिया जा रहा है।

[नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]

वित्त अधिनियम, 2017 के पारित हो जाने से संबंधित संशोधन कर दिया गया है।

110. 172 जनता के लिए धन वापसी दावे में तेजी लाने के लिए, संशोधित कर विवरणी के लिए समय सीमा को वित्त वर्ष पूरा होने से कम करके विवरणी फाइल करने की समयावधि के समान 12 माह तक किया जा रहा है। साथ ही, आकलन जांच के पूरा होने की समय सीमा भी निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए 21 माह से कम करके 18 माह और निर्धारण वर्ष 2019-20 एवं उससे आगे और कम करके 12 माह की जा रही है।

[नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]

111. 174 वैयक्तिक आयकर

इसलिए मैं, रु. 2.5 लाख से ₹5 लाख तक की आय वाले व्यष्टि निर्धारितियों के लिए कराधान की मौजूदा दर को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे ₹5 लाख से कम

वित्त अधिनियम, 2017 के पारित हो जाने से कार्यान्वित।

वित्त अधिनियम, 2017 के पारित हो जाने से कार्यान्वित।

क्रम पैरा सं. सं. बजट घोषणाओं का पाठ

कार्यान्वयन की प्रास्थिति

आय वाले सभी व्यक्तियों की कर देयता घट कर शून्य (छूट सहित) या इनकी मौजूदा देयता की 50 प्रतिशत रह जाएगी। लाभ की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, लाभार्थियों के उसी समूह को उपलब्ध छूट के मौजुदा लाभ को घटाकर ₹2500 किया जा रहा है जो ₹3.5 लाख तक की आय वाले निर्धारितियों के लिए ही उपलब्ध है। इन दोनों उपायों का संयुक्त प्रभाव यह होगा कि प्रति वर्ष ₹3 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए कर देयता शून्य होगी और ₹3 लाख से ₹3.5 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए कर देयता मात्र ₹2,500 होगी। यदि धारा 80ग के तहत ₹1.5 लाख की सीमा निवेश के लिए पूर्णतः प्रयोग किया जाता है तो ₹4.5 लाख की आय वाले लोगों के लिए कर शून्य होगा। चूँकि ₹5 लाख तक की आय वाले लोगों की कराधान देयता को घटाकर आधा किया जा रहा है, बाद की स्लेबों में अन्य श्रेणियों के सभी करदाताओं को भी प्रति व्यक्ति ₹12,500/- का एक समान लाभ मिलेगा। इस उपाय के चलते परित्यक्त कर की कुल राशि ₹15,500 करोड़ बनती है।

[नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]

112. 175 इस राहत के कारण होने वाली राजस्व हानि के कुछ भाग की प्रतिपूर्ति के लिए, मैं उन व्यक्तियों पर देय कर का 10 प्रतिशत अधिभार के रूप में लगाने का प्रस्ताव करता हूँ जिनकी वार्षिक कर योग्य आय ₹50 लाख और ₹1 करोड़ के बीच में है। ₹1 करोड़ से अधिक अर्जित करने वाले व्यक्तियों पर कर का 15 प्रतिशत का मौजूदा अधिभार जारी रहेगा। इससे ₹2,700 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

[नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]

113. 176 कर-नेट को और व्यापक बनाने के लिए, व्यावसायिक आय से इतर ₹5 लाख तक की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों के लिए आयकर विवरणी के रूप में भरे जाने के लिए एक-पृष्ठीय फॉर्म लाने की भी हमारी योजना है। इसके अतिरिक्त, इस श्रेणी का कोई भी व्यक्ति जो प्रथम बार आय कर विवरणी भरता है, प्रथम वर्ष में किसी जांच के अध्यधीन तब तक नहीं होगा जब तक कि उसके उच्च मूल्य के लेन-देन के बारे में विभाग के पास विशिष्ट सूचना उपलब्ध न हों। मैं, भारत के सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि यदि उनकी आय

वित्त अधिनियम, 2017 के पारित हो जाने से कार्यान्वित।

एक पृष्ठ का साधारण आईटीआर फार्म (सहज) राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 30.3.2017 को अधिसूचित किया गया।

क्रम पैरा बजट घोषणाओं का पाठ कार्यान्वयन की प्रास्थिति सं. सं.

> ₹2.5 लाख से ₹5 लाख तक के सबसे निचले स्लैब के अंतर्गत आती है तो 5 प्रतिशत कर की छोटी सी अदायगी करते हुए राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनें। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]

114. 178 जीएसटी को लागू करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है, जोकि स्वतंत्रता के बाद अब तक का सर्वाधिक बड़ा कर सुधार है। संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के अधिनियमों से लेकर, अब तक, इस अभूतपूर्व सुधार के लिए प्रारंभिक कार्य सरकार की सर्वोच्च वरीयता रही है। इस महान सदन में यह सूचित करना मेरा सौभाग्य है कि जीएसटी परिषद ने उत्साहवर्धक बहस और चर्चाओं के बाद लगभग सभी सहमति आधारित मुद्दों पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया है। जीएसटी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की तैयारी भी निर्धारित समयानुसार चल रही है। जीएसटी के लिए व्यापार और उद्योग तक पहुँच बनाने के व्यापक प्रयास 1 अप्रैल, 2017 से प्रारंभ होंगे ताकि व्यापार और उद्योग जगत को नई कराधान प्रणाली के प्रति जागरूक किया जा सके। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]

केन्द्रीय जीएसटी विधेयक, 2017; समेकित जीएसटी विधेयक, 2017; जीएसटी (राज्यों को प्रतिकर) विधेयक, 2017; और संघ राज्य क्षेत्र जीएसटी विधेयक, 2017 दिनांक 6.4.2017 को संसद द्वारा पारित किए गए। जीएसटी 01 जुलाई 2017 से देश में लागू हो गया है।

वाणिज्य और उद्योग, सहित विभिन्न हितधारकों के बीच जीएसटी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कर संबंधी कार्य करने वाले लोगों तथा विभाग के अधिकारियों ने देश के विभिन्न स्थानों पर अनेक कार्यशालाएं/जागरूकता अभियान चलाए हैं। इन कार्यक्रमों में इन तीन विषयों पर ध्यान दिया गया है नामतः (i) उपभोक्ता जागरूकता, (ii) छोटे और मध्यम क्षेत्र के उद्यम और (iii) जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के संबंध में।

15.01.2018 की स्थिति के अनुसार, देशभर में लगभग 8192 आउटरीच कार्यक्रम चलाए गए हैं।

115. 180 जून 2016 में आयोजित अधिकारियों की "राजस्व **ज्ञान संगम''** नामक वार्षिक सभा में प्रधानमंत्री ने रैपिड जिसका अर्थ है – राजस्व, उत्तरदायित्व, सत्यनिष्ठा, सूचना और डिजीटाइजेशन, के प्रस्ताव के रूप में कर प्रशासन में सुधार लाने की इच्छा जाहिर की थी। यह उस प्रस्ताव से कर विभाग की कार्यनीति सूक्ष्मरूप से प्रतिबिंबित होती है जो अब निर्धारित कर दी गई है। चूँकि राजस्व विभाग हमेशा एकाग्र रहा है, हम कर-निर्घारण में मानव हस्तक्षेप को दूर करने के साथ-साथ कर अपवंचन को रोकने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को अधिकतम प्रयोग में लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आने वाले वर्षों में **ई-निर्धारण** के लिए अपने प्रयासों में और तेज़ी लाएंगे। हम इन-हाउस और आउटसोर्स दोनों तरीके से डाटा जुटाने की क्षमता का अधिकाधिक प्रयोग भी कर रहे हैं। भूल-चूक के विशिष्ट कार्य के प्रति कर विभाग के अधिकारियों में अधिक उत्तरदायित्व को प्रवर्तित करने की भी हमारी योजना है। मैं प्रत्येक को आश्वस्त करना चाहुँगा कि ईमानदार, कर-अनुपालक व्यक्ति के साथ गरिमापूर्ण और भद्र व्यवहार किया जाएगा।

[नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]

आयकर विभाग में सभी स्तरों पर सूचना प्रौद्योगिकी का संवर्धन और